FOR ALL COMPETITIVE EXAMS





THE MARK HINDU
THE TIMES OF INDIA
Hindustan Times

♦The Indian **EXPRESS**

REAL NEWS & ANALYSIS

By Ankit Avasthi Sir

21 AUGUST 2024 AT 9 AM



"Push yourself.
Because no one
else is going to
do it for you."















ON CAM: BANGLADESH PM QUITS, FLEES AMID RIOTS







Home Top Stories National International Mann ki Baat Education Health Business & Economy

Home • Top Stories • Sheikh Hasina lands at Hindon Air Base; violence, vandalism reported in ...

05/08/24 | 6:30 pm




Sheikh Hasina Lands At Hindon Air Base; Violence, Vandalism Reported In Dhaka











Home Top Stories National International Mann ki Baat Education Health Business & Economy

Home • Top Stories • Sheikh Hasina lands at Hindon Air Base; violence, vandalism reported in ...

05/08/24 | 6:30 pm



Sheikh Hasina Lands At Hindon Air Base; Violence, Vandalism Reported In Dhaka






TOI

It is the biggest and largest air base in Asia. Its area measured 14 km rounded and 10.25 square kilometres (3.96 sq mi). This base celebrates Air Force Day on 8 October. It is located near Loni Ghaziabad in the state of Uttar Pradesh in the National Capital Region on the outskirts of Delhi, close to the Hindon River.



The base is home to the C-17 Globemaster, which is the backbone of the Indian Air Force's Heavy Air Lift division, and is a vital hub for fighter jets like the Sukhoi Su-30MKI and MiG-29. Hindon AFS is also the main base for the Western Air **Command** and has been used for forward offensive operations. For example, during the 26/11Mumbai attacks, MiG-29 fighter jets were deployed from the base to defend the skies over Delhi.










Watch: National Security Advisor Ajit Doval met with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina at Hindon Airbase



7:21 PM · Aug 5, 2024 · 93.4K Views

बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं। वह बांग्लादेश वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान से गाजियाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पहुंचीं। जानकारी के अनुसार, हिंडन एयरबेस पर NSA अजीत डोभाल और सेना के सीनियर अधिकारियों ने शेख हसीना से मुलाकात की। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। उन्हें सेफ लोकेशन पर ले जाया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर पीएम आवास पर महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। इससे पहले भी नई दिल्ली में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं।



Big security meeting at PM Modi's official residence in Delhi. Discussions with the cabinet committee on developments in #Bangladesh

Sheikh Hasina remains inside the safe house at Hindon Airbase near Delhi, having dinner & resting until her special flight to London is ready





Sheikh Hasina looks at UAE, Saudi for asylum

While Sheikh Hasina's daughter lives in Delhi, Modi government worries about diplomatic fallout of her continued stay

Updated - August 07, 2024 07:44 am IST Published - August 06, 2024 06:35 pm IST - NEW DELHI.




SUHASINI HAIDAR













NDTV

https://www.ndtv.com > India News :

Sheikh Hasina To Stay In India Until UK Grants Asylum 📀

6 Aug 2024 — Hasina is currently seeking asylum in the UK, with her sister Rehana, a UK citizen, accompanying her.



The UK Home Office would not officially comment on the asylum claim as such claims are confidential but Home Office sources told TOI, "It is not possible to apply for asylum from outside UK. The UK has a proud record of providing protection for people who need it. However, there is no provision within our immigration rules for someone to be allowed to travel to UK to seek asylum or temporary refuge. Those who need international protection should claim asylum in the first safe country they reach, that is the fastest route to safety."







Home Latest

Movies

Olympics 2024

India

Crick

NEWS / WORLD » US REVOKES SHEIKH HASINA'S VISA AFTER BA...

US Revokes Sheikh Hasina's Visa After Bangladesh Ouster As Ex-PM Seeks Asylum In The West

- Reported By: Manoj Gupta CNN-News18
- Last Updated: August 06, 2024, 16:40 IST

Hasina's U.S. visa revoked amid claims of Western interference. Now in India, Hasina seeks asylum options as Bangladesh unrest continues

Sheikh Hasina's plan to travel to U.K. hits roadblock, may be in India for couple of days

"Hasina decided to travel to London as Rehana's daughter Tulip Siddiq is a member of the British Parliament," people familiar on the matter said

Updated - August 06, 2024 05:30 pm IST Published - August 06, 2024 04:49 pm IST - New Delhi

PTI














Sheikh Hasina Confirms US Footprint in Ouster in Bangladesh: Media

"I could have remained in power if I had surrendered the sovereignty of Saint Martin Island and allowed America to hold sway over the Bay of Bengal. I beseech to the people of my land, 'Please do not be manipulated by radicals," Hasina said in a message conveyed to The Economic Times through her close associates.





लंबे समय तक भारत में रह सकती हैं हसीना

कयास लगाए जा रहे थे कि हसीना जल्द ही भारत से किसी दूसरे देश में जाने वाली हैं। फिर यह सामने आया कि वो ज्यादा समय तक भारत में रहने वाली हैं। हालांकि, दूसरे देशों में उनके जाने को लेकर अभी भी बातचीत का दौर जारी है।

अंग्रेजी समाचार वेबसाइट न्यूज 18 के अनुसार, शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना उम्मीद से अधिक समय तक भारत में रहेंगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह प्रवास वीजा पर आधारित होगा, न कि शरण या शरणार्थी श्रेणी में।

भारत और बांग्लादेश के संबंध

शेख हसीना के भागकर भारत आने की सबसे बड़ी वजह उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के वक्त से ही बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात रहे हैं. वो भारत ही है, जिसने अपनी सेना को बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की मदद के लिए भेजा और फिर भारत-पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को तोड़कर नया बांग्लादेश बनाया. वो भारत ही है, जिसने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद शेख हसीना को अपने यहां शरण दी, जिसकी वजह से शेख हसीना की जान बच पाई. तब शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना की जान इसलिए बच पाई थी, क्योंकि दोनों बहने बांग्लादेश में न होकर जर्मनी में थीं.





पहले भी भारत में रह चुकी हैं शेख हसीना

भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जर्मनी में भारत के राजदूत हुमायूं राशिद चौधरी को हसीना के पास भेजा. हुमायूं राशिद चौधरी ने हसीना से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात भी करवाई और तब एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से 25 अगस्त, 1975 को शेख हसीना दिल्ली के एक सेफ हाउस में पहुंचीं.

बांग्लादेश में किसी को पता न चले, इसके लिए उनका नाम बदला गया. शेख हसीना मिस मजमूदार बन गईं और पंडारा पार्क के सी ब्लॉक स्थित तीन कमरों के एक मकान में रहने लगीं, जिसकी सुरक्षा भारत की एजेंसियां कर रहीं थीं. तब शेख हसीना करीब 6 साल तक भारत में रहीं थीं.

शेख'तक'पहुंचना कितना' मुमकिन? NEWS 18



कहां है सेफ हाउस और कैसा है?


हिंडन एयर बेस के बाहर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है. मगर अंदर सेफ हाउस के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है. सेफ हाउस तक किसी आम इंसान का पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है. साथ ही सेफ हाउस का रास्ता हिंडन एयरबेस के मुख्य द्वार से किसी भूल भुलैया से कम नहीं है. कई किलोमीटर में पहले इंडियन एयर बेस में सेफ हाउस तक कैसे पहुंचा जाए यह वहां के कर्मचारी ही जानते हैं. वह भी रेगुलर कर्मचारी. बेस के मुख्य द्वार से लेकर अंदर सभी जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है. किसी को भी सेफ हाउस तक जाने की इजाजत नहीं है.

सुरक्षा में कौन तैनात?

उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वायु सेना के गरुड़ कमांडो को लगाया गया है. गरुड़ कमांडों को दुश्मनों का काल माना जाता है. वे पानी से लेकर हवा तक में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं.

Bangladesh court orders probe in murder case against ex-PM Sheikh Hasina

Case is the first filed against Hasina after she was forced out of office and fled the country amid nationwide protests.



A court in Bangladesh has opened a murder investigation into former Prime Minister Sheikh Hasina and six top figures in her administration over the police killing of a man during civil unrest last month.















Business News > News > International > World News > Fresh murder case filed against ousted Bangladesh PM Sheikh Hasina over fish trader's death

Fresh murder case filed against ousted Bangladesh PM Sheikh Hasina over fish trader's death

PTI = Last Updated: Aug 19, 2024, 12:48:00 PM IST



ynopsis

Sheikh Hasina: A fresh murder case has been lodged against ex-Bangladesh prime minister Sheikh Hasina and 62 others concerning the death of a fish trader during quota reform protests. This case is one among many filed against Hasina after her resignation and escape to India following massive student protests. More than 600 deaths have been reported since the mid-July unrest.



Sheikh Hasina (file photo)

A new murder case has been filed against Bangladesh's deposed prime minister Sheikh Hasina and 62 others, including ex-ministers of her cabinet, over the death of a fish trader during the quota reform protests in the country, a media report said on Monday. The case, filed late on Sunday, was the latest in the slew of cases filed

against the 76-year-old leader after her resignation and fleeing to India on August 5 following a massive protest by students against a quota system in government jobs.

It was filed by Shahnaz Begum, the wife of Md Milon, who was shot dead on July 21 while returning home from a local fish market, the Dhaka Tribune newspaper reported.

As many as 62 people, including Hasina, former road transport and bridges minister Obaidul Quader, former lawmaker Shamim Osman, and former home minister Asaduzzaman Khan, were named as accused in the case.







Business Standard

https://www.business-standard.com > ... > News

Another murder case filed against ousted Bangladesh PM ...

3 days ago — A murder case was filed against Bangladesh's former prime minister **Sheikh Hasina** on Saturday over the **death** of a college student during the ...



Times of India

https://timesofindia.indiatimes.com > world > articleshow

Bangladesh's ousted PM Sheikh Hasina faces seventh ...

3 days ago — A murder case was filed on Saturday against former prime minister of Bangladesh Sheikh Hasina in connection with the death of a college ...



The Economic Times

https://m.economictimes.com > ... > World News

Fresh murder case filed against ousted Bangladesh PM ...

2 days ago — **Sheikh Hasina**: A fresh **murder case** has been lodged against ex-Bangladesh prime minister **Sheikh Hasina** and 62 others concerning the **death** of a ...



Sheikh Hasina accused of genocide, faces International Crimes Tribunal case

Bangladesh's interim government has announced that it will prosecute those involved in killings during the mass student movement against Hasina in the ICT



File Photo Of Ousted Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina

Bhaswar Kumar | Delhi

3 min read Last Updated : Aug 20 2024 | 2:26 PM IST











International Crimes Tribunal (Bangladesh)





The International Crimes Tribunal (Bangladesh) is a domestic war crimes tribunal in Bangladesh set up in 2009 to investigate and prosecute suspects for the genocide committed in 1971 by the Pakistan Army and their local collaborators Razakars, Al-Badr and Al-Shams during the Bangladesh Liberation War. Wikipedia

ズ Translated by Google

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश) बांग्लादेश में एक घरेलू युद्ध अपराध न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना 2009 में बांग्लादेश के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानीय सहयोगियों रज़ाकारों, अल-बद्र और अल-शम्स द्वारा किए गए नरसंहार के संदिग्धों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। मुक्ति संग्राम. विकिपीडिया

Founded: 22 March 2012

Number of positions: 3 permanent



A complaint was lodged on Monday against ousted Bangladesh prime minister Sheikh Hasina and 26 others, including former ministers from her Cabinet, with the country's International Crimes Tribunal (ICT) on charges of alleged genocide and crimes against humanity.

Md Abul Hasan, the father of Shahriar Hasan Alvi, who was killed during the recent student-led anti-discrimination movement, filed the complaint against 27 individuals, including 76-year-old Hasina, her associates, and 500 unidentified others. The complaint was submitted to the ICT's investigation agency, according to the state-run *BSS* news agency.

According to news agency *PTI*, among the prominent figures named in the complaint are former ministers Rashed Khan Menon, Obaidul Quader, Hasanul Huq Inu, and former inspector general of police, Abdullah Al Mamun.

Following unprecedented student protests against a controversial government job quota system that turned into a movement demanding her ouster, Hasina fled to India on August 5 after resigning from her position.

Bangladesh's interim government has announced that it will prosecute those involved in the killings during the mass student movement against Hasina in the ICT.

Last week, a separate complaint was filed with the ICT's investigation agency against Hasina and eight others, accusing them of committing genocide and crimes against humanity during the student-led protests.

On Wednesday, the tribunal commenced an investigation into the case against Hasina and others.

"Sending A Team...": UN's 1st Fact-Finding Mission To Bangladesh Since 1971

This will be the first time the UN is sending a fact-finding mission to Bangladesh since its independence in 1971 to investigate widespread human rights abuses in the country, according to a UN official, said a post on X by the Chief Adviser of the Government of Bangladesh.

World News | Press Trust of India | Updated: August 15, 2024 5:54 pm IST

TRENDING



Elon Musk's Response After Trump Says He Would Make Him Adviser



"Though Well Intentioned...": Doctors' Body On Supreme Court Directive



'Let's Not Make One Case Harm Bilateral Ties': Malaysia PM On Zakir Naik







Opinion Sports Business Entertainment Life & Living Youth Tech & Startup Multime Home News v

BANGLADESH



Porimol Palma

Wed Aug 21, 2024 12:00 AM Last update on: Wed Aug 21, 2024 01:41 AM













Most Viewed =

- Dipu Moni arrested from Baridhara DOHS
- S Alam group, associates: Tk 95,000cr loans taken from 6 banks
- BB restricts lending activities of six S Alamlinked banks
- The darkest hour

Recent violence: UN team flies in tomorrow to discuss probe framework




A team of UN experts is set to arrive in Dhaka tomorrow to set a framework for the fact-finding mission that is expected to probe the "atrocities" committed during the unrest that toppled former prime minister Sheikh Hasina.



BNP Secretary-General asks India to extradite Sheikh Hasina to face trial

Hasina, 76, resigned and fled to India on August 5 following massive protests by students and others against her government over a controversial quota system in government jobs.



Bangladesh Nationalist Party's Secretary-General Mirza Fakhrul Islam Alamgir on Tuesday asked India to extradite deposed prime minister Sheikh Hasina to face trial as he accused her of plotting to thwart the country's student-led "revolution".

Hasina, 76, resigned and fled to India on August 5 following massive protests by students and others against her government over a controversial quota system in government jobs.

"It is our call to you that you should hand her over to the government of Bangladesh in a legal way. The people of this country have given the decision for her trial. Let her face that trial," Fakhrul was quoted as saying by the Daily Star newspaper.

Talking to reporters after placing a wreath at the grave of former president and BNP founder Zia-ur Rahman in the city, Fakhrul said India is seemingly not keeping its commitment towards democracy by providing shelter to her.

Fakhrul said fascist ousted prime minister Sheikh Hasina fled the country in the face of the student-led "revolution".

"It is unfortunate that our neighbouring country has sheltered her. Staying there, Hasina has started a conspiracy to foil the victory of Bangladesh," he was quoted as saying by the state-run BSS news agency.

Over 230 people were killed in the incidents of violence that erupted across the country following the fall of the Hasina-led Awami League government, taking the death toll to more than 600 since the massive protest by students first started in mid-July.



क्या भारत से अलग है West Bengal? Mamata Banerjee के बयान से जुड़ा मामला...by Ankit...

473K views • 3 weeks ago >100x

Apni Pathshala 2.05M subscribers




क्या भारत से अलग है West Bengal ? Mamata Banerjee के बयान से जुड़ा मामला...by Ankit Avasthi Sir



Apni Pathshala













Do India and Bangladesh have an extradition treaty?

Yes. India and Bangladesh signed an extradition treaty in 2013, which was then amended in 2016 to ease and hasten the exchange of fugitives between the two countries.

The treaty came into being in the context of several Indian fugitives, particularly those belonging to insurgent groups in the North East, hiding in and operating out of Bangladesh. At the same time, Bangladesh had been facing trouble from outfits such as Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), whose operatives were found to be hiding in states like West Bengal and Assam in India.

The treaty allowed India to successfully extradite Anup Chetia, a top United Liberation Front of Assam (ULFA) leader, from Bangladesh to India in 2015. Since then, one more fugitive has been handed over to India by Bangladesh through the extradition route. According to sources, India too has handed over a couple of Bangladesh fugitives to its neighbour through this treaty.



English Edition • | Today's ePaper



Bangladesh cabinet ratifies extradition treaty with India

PTI a Last Updated: Oct 07, 2013, 06:49:00 PM IST



Freedom Offer is Live

Synopsis

Bangladesh's cabinet today approved a landmark extradition treaty with India, nearly nine months after the two countries inked the deal.



DHAKA: <u>Bangladesh</u>'s cabinet today approved a landmark extradition treaty with India, nearly nine months after the two countries inked the deal, a move that could lead to the handing over of several jailed Indian militant leaders like ULFA's **Anup Chetia**.

"The cabinet has ratified the


Extradition Treaty with India," cabinet secretary <u>Mosharraf Hossain</u>

<u>Bhuiyan</u> told reporters after a cabinet meeting chaired by <u>Prime Minister</u>

Sheikh <u>Hasina</u>.

He said the treaty would now require the approval of the Parliament and it could come into effect after both the sides exchange documents following legal procedures.





What does the treaty say?


According to the treaty, India and Bangladesh are supposed to extradite individuals "who have been proceeded against... or have been charged with or have been found guilty of, or are wanted for... committing an extraditable offence" by a court of the requesting country.

An extraditable offence, the treaty says, **is one which carries a minimum punishment of one year imprisonment.** This includes financial offences. Crucially, for an offence to be extraditable, the principle of dual criminality must apply, meaning that the offence must be punishable in both countries.

The treaty says that extradition shall also be granted if there is an "attempt to commit or aiding, abetting, inciting or participating as an accomplice in the commission of an extraditable offence".

Are there exceptions to these rules?

Yes. The treaty says that extradition may be refused if the offence is of "political nature". But this is limited by the nature of offence. And the list of offences which cannot be deemed as "political" is rather long. These include murder; manslaughter or culpable homicide; assault; causing of an explosion; the making or possession of an explosive substance or weapons by a person intending to endanger life; the use of a firearm with intent to resist or prevent arrest; damaging property with intent to endanger life; kidnapping or taking of a hostage; incitement to murder; and any other offence related to terrorism.



So, can Hasina be extradited by Bangladesh?

- Hasina is a political player, and she can claim to seek political asylum in India. However, some of the offences for which she has been booked are excluded from the definition of political crimes in the treaty. This includes cases of murder, enforced disappearance, and torture.
- had died in police firing last month. The very next day, a case of enforced disappearance was filed against her on the charge of kidnapping a lawyer in 2015. On August 15, Hasina was slapped with charges of murder, torture and genocide in a third case.

On August 13, Hasina was booked for the murder of a grocery store owner who

Things are further complicated by the fact that a 2016 amendment to **Article 10** (3) of the treaty did away with the requirement for the requesting country to provide evidence of the offence committed. Now, merely an arrest warrant by a competent court of the requesting country is needed to process an extradition.

Given a request, will India have to send Hasina back?

- Not necessarily. There are grounds spelt out for refusal of extradition requests in the treaty. Article 7 of the treaty says that "the request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State." This is not applicable in Hasina's case.
- That said, Article 8 lists out multiple grounds for refusal including cases in which an accusation has not been "made in good faith in the interests of justice" or in case of military offences which are not "an offence under the general criminal law".

India has the option of refusing Hasina's extradition on the ground that the accusations made against her are not "in good faith in the interests of justice". But this has the potential to adversely impact New Delhi's relations with Dhaka's new ruling dispensation.



So, what should India do?

Bangladesh. At the same time, it must also be seen to be standing by Sheikh Hasina, a long time friend and ally to New Delhi.

"Do our critical interests lie in handing over Hasina to Bangladesh? They don't. The legalese of the treaty does not matter. There are lawyers on both sides," a former Research and Analysis Wing (RAW) officer, who has

India has to look to build relations with whoever comes to power in

Dhaka, and secure its long term strategic and economic interests in

The former spy argued that the matter did not even warrant a "balancing act".

dealt closely with Bangladesh, told *The Indian Express*.

"Beyond diplomacy, having a treaty means its legal provisions have to be satisfied. Then there are multiple examples of relations between two countries being healthy despite pending extradition requests," he added.



COMPLETERECORDED BATCH

FOUNDATION BATCH

Price Price Price



By Ankit Avasthi Sir







99/- ONE YEAR



EXAM DATE

September 2024







Features

- 40 Mock Test
- 10 Practice test
- 4 Sectional Test
- 2 Year PYP
- 60 + Current Affairs





UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

• 50+ MOCK TESTS • 30+ PYQ'S

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR









GA FOUNDATION







6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Date: _/_/_

Title:

→ सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू

- → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्षेतम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंघु भी पंचनद भान में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनार भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्वे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयीजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययं नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।




CAL CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia



















Quota in government jobs


How much quota for whom?

district



10%





total 56%



Quota Abolition

In 2018, the quota has been abolished in 9-13th grade jobs.

Quota was and is

In 14th to 20th grade jobs.

Post in Government Service

| Grades 1-8 | 1,10,077 |
|--------------|------------|
| Grades 9-13 | 9,17,039 |
| Grades 14-20 | 8,82,581 t |

11/ 000


Demands of students and job aspirants

Now they want logical reform of quota in all jobs.

PROTESTS

Bangladesh's job quota system

Bangladesh's quota system reserves more than half of well-paid civil service posts for specific groups, including children of fighters in the country's 1971 war of independence from Pakistan, totalling hundreds of thousands of government jobs.





Source: Bangladesh government

Bangladesh suspends job quotas after student protests

By AFP - Last Updated: Jul 10, 2024, 02:29:00 PM IST









Synopsis

lines

Bangladesh's top court temporarily suspended government job quotas after nationwide student protests against the discriminatory system that reserves over half of well-paid civil service posts for specific groups. Students demand a merit-based system and refuse to return to classrooms until the quota system is abolished. The Supreme Court suspended the reinstated quota system order for a month, urging students to go back to class.



Students and job seekers shouts slogans as they protest to ban quotas for government job at Shahbagh Square in Dhaka, Bangladesh, July 3,

Dhaka: Bangladesh's top court on Wednesday temporarily suspended quotas for coveted government jobs after thousands of students staged nationwide protests against what they call a discriminatory system, lawyers said.

The **quota system** reserves more than half of well-paid and massively oversubscribed civil service posts, totalling

hundreds of thousands of government jobs, for specific groups including children of liberation heroes.

Students launched protests earlier this month, demanding a merit-based system, with demonstrations on Wednesday blocking highways and railway





Videos





apex court scaling down job q...



ndia Today

Bangladesh partially restores telecom ...



Example 2 Dec News - India.Com

How Did The Bangladesh Job Quota ...



MSN job quotas that sparked deadl...



Al JazeeraBangladesh top co



Scroll.in

High unemployment, especially for ...



IB News18
Bangladesh Quota Protests: Studen...



The Economic Times

Bangladesh protests: Why are Banglade...



bt Business Today
Bangladesh protests: Supreme Court ...





Prime Minister #SheikhHasina has approved a government declaration ("Proggapon") implementing the #SupremeCourt verdict on quotas in government jobs (all grades): 93% based on #merit only, 5% quota for children of #freedomfighters, martyred freedom fighters and Birangonas, 1% quota for ethnic #minorities, and 1% quota for #disbaled persons and members of #thirdgender.





Bangladesh student group vows to resume protests if demands not met

The Students Against Discrimination group's chief Nahid Islam and others "should be freed and the cases against them must be withdrawn", said the member of the group

Published - July 28, 2024 01:52 pm IST - Dhaka

AFP













How student protests unfolded in Bangladesh

June 5: High court reinstates 30% quota for descendants of freedom fighters in government jobs, sparking public outrage.

June 6: Protests start at the University of Dhaka, spreading to other universities, demanding cancellation of quota system.

June 7: Students stage a blockade, intensifying demands for the government to rescind the quota.

Mid-June: Protests escalate, with peaceful demonstrations calling for reforms.

JULY 2024

July 15: Major protest at Dhaka University; government imposes communication blackout.

July 18: Clashes intensify; 19 reported dead. Government imposes curfew and deploys military.

July 19: Violence spreads nationwide; government websites hacked.

July 21: Supreme Court reduces the quota to 5%, responding to protest pressure.

AUGUST 2024

August 3: Protests erupt again demanding justice for those killed and injured.

August 4: Over 100 killed in nationwide protests
Government announces a judicial investigation, but public dissatisfaction remains high.

August 5: PM Sheikh Hasina steps down amid unrest, flees country.











Supreme Court gives landmark verdict on SC, ST quota: What is it all about?

ET Online « Last Updated: Aug 01, 2024, 02:13:00 PM IST















The Supreme Court ruled that states can now sub-classify Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) to grant quotas within these groups, aiming to better support more disadvantaged sub-groups. This landmark decision, delivered by a seven-judge bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud, overturns a 2004 ruling that had deemed such sub-classifications unconstitutional



Court on Thursday said states are empowered to make sub-classifications of SCs and STs for granting quotas inside the reserved category to uplift the more underprivileged castes.

In a landmark verdict, the Supreme

Supreme Court of India

A seven-judge constitution bench headed by Chief Justice DY

Chandrachud held by a 6:1 majority that the further sub-classification of SCs and STs by states can be permitted to ensure the grant of quota to more backward castes inside these groups.



Judge verdicts for permissibility of States sub-classifying Scheduled Castes

- State SC sub-classification is permissible
- Not permissible



CJI D.Y. Chandrachud



B.R. Gavai



Vikram Nath



B.M. Trivedi



Manoj Misra



Pankaj Mithal



S.C. Sharma






SC ST RESERVATION पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला..बदल जाएगी राज्यों की राजनीति..by Ank...

1.8M views • 2 weeks ago 4.7K VPH 2.3x

Ankit Inspires India 4.17M subscribers

SC ST RESERVATION पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला..बदल जाएगी राज्यों



SC ST RESERVATION पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला..बदल जाएगी राज्यों की राजनीति..by Ankit Avasthi Sir















राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति, यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (1 अगस्त) को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि <mark>राज्य</mark> सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकतीं।



इसके लिए दो शर्तें होंगी...

पहली: अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकतीं।

दूसरी: अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।

फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 के खिलाफ नहीं है।



| Reservation Category | Reservation Quota (%) |
|-------------------------|--------------------------|
| ST | 7.5 |
| SC | 15 |
| OBC | 27 |
| EWS | 10 |
| Total | 59.50% |

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।

सुप्रीमकोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों में उप-वर्गीकरण(sub-classification) के लिए मंजूरी दे दी है।

मतलब SC/ST वर्गों में पिछड़े समूहों की पहचान कर उन्हें अलग से कोटा दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचों की पीठ ने यह फैसला 6:1 के बहुमत से सुनाया। केवल न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पीठ के इस फैसले से असहमति जताई।

Translate post





सुप्रीम कोर्ट का SC-ST पर फैसला: क्या ये "फूट डालो और राज करो" की नीति है? ...

439K views • 2 weeks ago















Law Minister says Supreme Court judgment on sub-categorisation within the SC list contains nothing on identifying and excluding the 'creamy layer', which only appears in a judge's "observations"

Updated - August 10, 2024 12:27 am IST Published - August 09, 2024 08:28 pm IST - NEW DELHI

THE HINDU BUREAU













Centre turns down Supreme Court's call for SC/ST creamy layer exclusion


No provision in Constitution, says Cabinet, hours after BJP MPs meet PM



Prime Minister Narendra Modi with a delegation of BJP SC/ST MPs in New Delhi on Friday. PTI

Days after the Supreme Court called for exclusion of the creamy layer from the ambit of Scheduled Caste/Scheduled Tribe reservation, the Union Cabinet Friday turned it down, saying "there is no provision for a creamy layer in SC/ST reservation" in "the Constitution given by B R Ambedkar".

Earlier in the day, <u>BJP</u>'s SC, ST MPs of Lok Sabha and <u>Rajya Sabha</u> met Prime Minister <u>Narendra Modi</u> and said they had been assured that no step would be taken on the top court's observations calling for exclusion of the creamy layer.







केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद स्पष्ट किया है कि-

संविधान में अनुसूचित जाति(SC) /अनुसूचित जनजाति(ST) समूहों के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा।



Top stories :



Bharat Bandh 2024: Why is a nationwide protest being held today? Who called it, and other details | Today News



1 minute ago

The Economic Times

Bharat Bandh 2024 News Live Updates: Nationwide strike kicks off today over Supreme Court's reservation ruling





mint mint

Bharat Bandh 2024: What to expect, what is closed, everything you need to know about nationwide shutdown on August 21 | Today News ✓

1 minute ago








IAS में लैटरल एंट्री से आरक्षण खत्म! सरकार के फैसले पर मचा बवाल — जानि...

304K views • 16 hours ago









Congress chief Mallikarjun Kharge credited Rahul Gandh along with other INDIA bloc parties, in ensuring reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes were protected

Published - August 20, 2024 09:38 pm IST - New Delhi

THE HINDU BUREAU













सिर्फ इस एक चीज के चलते SC/ST एक्ट को लेकर उल्टा फंस गई मोदी सरकार, बीजेपी के अंदर हड़कंप; खुद के दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा; High Alert जारी

6 वर्ष पहले

21 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट 1989) के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित समुदाय ने 2 अप्रैल को 'भारत बंद' किया था। इसमें आंदोलन में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

फिर सरकार ने कोर्ट के फैसले से हटकर इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी

दिलत समुदाय की नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट को पुराने और मूल स्वरूप में लाने का फैसला किया। सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फेरबदल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

THE ECONOMIC TIMES Politics

English Edition - | Today's ePaper



Business News + News + Politics + Bharat Bandh: Dalit protests peak over SC/ST Act controversy, 7 killed

Bharat Bandh: Dalit protests peak over SC/ST Act controversy, 7 killed

ET Now | 02 Apr 2018, 08:12 PM IST

Embed



Post a Comment



Violent protests erupted today during a nationwide bandh called by several Dalit organisations against the alleged "dilution" of the SCs/STs Act. Six people have died in Madhya Pradesh, one person has died due to police firing in Alwar, Rajasthan in the violent protests. Following the SC order, the violent protests today hit life across the country with some states ordered closure of educational institutions and curtailed communication and transport services, including rail, incidents of arson and vandalism were reported from Madhya Pradesh, Rajasthan, Utar Pradesh, Bihar and Punjab, among other states.

Latest Videoes





अबकी बार, रहो तैयार

भारत द 21 अगस्त 2024

निवेदक समस्त एससी/एसटी/ओबीसी समाज



- अपने गांव, तहसील, जिले में अभी तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और ज्ञापन बनाएं।
- नीले झंडों के साथ 21 अगस्त को इक्कि होने का स्थान निर्धारित करके व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल करें।

समस्त बहुजन समाज, समस्त SC-ST दलित आदिवासी संगठन



जयपुर 21-08-2024



जयपुर फ्रेंट पेज

सूर्यास्त (बुधवार) 6:59 बजे

सूर्योदय (गुरुवार) 6:03 बजे

जयपुर बंद पर दो धड़े • अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बंद, एससी-एसटी का दूसरा वर्ग खिलाफ, हंगामे को लेकर पुलिस अलर्ट

बंद को सफल बनाने 25 टीमें बनाईं, 9 बजे रामनिवास बाग से निकलेगा सदभावना मार्च

भारकर न्यूज जयपुर

सप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण का वर्गीकरण किए जाने से खफा एससी-एसटी कई संगठनों ने बधवार को भारत बंद के साथ जयपुर बंद का भी ऐलान किया है। अनुसुचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले यह बंद रखा जाएगा। वहीं, एसटी-एससी का दूसरा वर्ग बंद के विरोध में है। पूर्व में बंद के दौरान हुए हंगामें के देखते हुए पुलिस प्रशासन भी बंद के समर्थन में शांति व सद्भवना मार्च

विशेष बैठक ब्लाई। इसमें सभी सामाजिक त्रिपोलिया बाजार, बडी चौपड, जौहरी और व्यापारिक संगठन भी शामिल हए। हालांकि व्यापारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया वापस रामनिवास बाग पर खत्म होगा। कि वे बंद के समर्थन में हैं या नहीं। महासंघ इसके बाद कलेक्टर को जापन देंगे। अध्यक्ष सुभाष गोयल व महामंत्री सुरेश सैनी ने कहा कि व्यापारी स्वयं विवेक से काम लें। है कि जनहित में समस्त आवश्यक व के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भारत साथ ही हर बाजार में पर्याप्त पलिस जाव्ता तैनात करने की मांग की है. ताकि किसी भी ऐयजल, शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस आंटोलन तरह की अग्निय घटना को रोका जा सके।

जरूरी और आपातकालीन सुविधाओं को छूट



निकाला जाएगा, जो रामनिवास बाग से बंद को लेकर मंगलवार को प्रशासन ने सबह 9 बजे शुरू होकर चौड़ा रास्ता, बाजार, खंगानेरी गेट, एमआई रोड होकर संघर्ष समिति ने जारी पत्र जारी कर कहा

बैंक आदि बंद से मक्त रहेंगे।

संघर्ष समिति के संवोजक जेपी विमल ने बताया कि राजधानी में बंद को सफल बनाने के लिए 25 टीमों का गठन किया है, जो अलग-अलग इलाकों में लोगों को समझाइश कर बाजार बंद करवाएगी। यह

बंद पुरी तरह शांतिपुर्ण होगा। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि बंद के आयोजन में संघ का समर्थन खेगा। उन्होंने अपील की है कि बंद के दौरान शांति और सदाव बनाए रखें। समिति संयोजक का कहना है कि अनुसचित जाति, जनजाति समाज द्वारा शांतिपर्ण भारत बंद करवाया जाएगा। एनएसयुआई आपातकालीन सेवाएं, जैसे- चिकित्सा, बंद आंटोलन का समर्थन किया है और परिवहन, रेल सेवा, पेटोल पंप, विद्युत व को सफल बनाने की अपील भी की है।

30 जातियां बंद के विरोध में. बोले-चुनिंदा वर्ग को लाभ, वंचित पिछड़ रहे

भारतहर न्यज जयपर एससी-एसटी का दसरा वर्ग भारत

बंद के खिलाफ है। मंगलवार

को एससी-एसटी संघर्ष समिति

राजस्थान के बैनर तले वाल्मीकि

समाज, नट समाज, बावरी समाज

कालबेलिया, कंजर समाज, धानका

समाज व सपेरा समाज समेत 30

कलेक्टेट पहुंचे और बंद के खिलाफ

उप-वर्गीकरण कोटे को शीघ लाग

करने की मांग की।

जबरन बंद कराया तो वाल्मीकि समाज रोकेगा



जातियों के प्रतिनिधि जलस के रूप में वाल्गीक समाज विकास संस्था अध्यक्ष दीपक इंडोरिया ने कहा ज्ञापन सींपा। इन्होंने सप्रीम कोर्ट के कि भारत बंद का वाल्मीकि समाज फैसले का स्वागत करते हुए उप-पर्ण रूप से बहिष्कार करता है और यह मांग करता है कि इस फैसले इनका कहना है कि अभी चृनिंदा वर्ग को राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव व जातियों को ही आरक्षण का लाभ से लाग करें, क्योंकि आरक्षण का मिल रहा है, जबकि वीचत पिछडते बंटवारा ही समाधान है। अगर जा रहे हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर की वाल्मीकि समाज रोकेगा। फोटो पर माल्यार्पण कर आरक्षण में

सांसी ने सप्रीम कोर्ट के निर्णय का सैकड़ों लोग मीजद थे।

कहा कि वींचत तबके को कभी आगे बढ़ने व समान आरक्षण का लाभ नहीं मिला। वाल्मीकि समाज के एडवोकेट महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यह फैसला आरक्षण से वीचत समाज के हित का है। धानका समाज के सीताराम लगरिया ने कहा कि यह फैसला सरकार को लागु करना चाहिए। नट समाज के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल राजवंशी ने इस निर्णय को समाज के हितों की रक्षा करने वाला बताया। इस दौरान समिति के प्रदेश संयोजक राकेश बिदावत, घनश्याम ग्वारिया, दिनेश जबरन भारत बंद कराया गया तो सपेरा, काशीराम सांसी, कानाराम, नरेन्द्र, एससी-एसटी आरक्षण से हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामधन विचत जातियों के एडवोकेट महित

स्वागत व आभार प्रकट करते हए

10 हजार से ज्यादा जाब्ता तैनात, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

ज्रयपुर | जयपुर बंद के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर बीजृ जॉर्ज जोसफ ने सभी एसएचओं के लिए कानून-व्यवस्था के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। उल्लंधन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। बंद के दौरान किसी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर निगरानी रखें और अफवाहो फैलाने वालों को तरंत चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे

- सभी अधिकारी समय-समय पर अपने इलाके में स्थिति कंटोल रूम को बताएंगे।
- राजकीय, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को किसी प्रकार का नकसान न हो और फ्लैग मार्च में असामाजिक तत्वी पर निगरानी रखेंगे।
- सधी एसएचओ और अन्य अधिकारी जाप्ते के साथ सबह 7:30 बजे पॉइंटों पर तैनात हो जाएंगे। संबेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जाब्ता लगाया जा रहा है।
- एडिशनल कमिशनर कैलाश विश्नोई सोशल मीडिया व आपराधिक गतिविधि, प्रीति चंद्रा यातायात व अन्य प्रबंधन कार्य, कंवर राष्ट्रदीप कानून और अन्य व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे।
- चारों डीसीपी अपने-अपने जिले में दस हजार से ज्यादा पलिसकमियों के साथ तैनात रहेंगे।



India trends

1 · Trending #**कल_भारत_बंद_नहीं_होगा** 46K posts

2 · Trending #RajivGandhi 32.9K posts

3 · Trending #LateralEntry 33.4K posts

4 · Trending #Badlapur 29.3K posts


5 • Politics • Trending **राजीव गांधी** 83.8K posts

क्यों रहेगा भारत <mark>बंद</mark>

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ लिया गया है, जिसमें कोर्ट की ओर से एससी और एसटी श्रेणी में क्रीमिलेयर को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

विपक्षी संगठनों के मुताबिक, यह फैसला ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ जजों की पीठ के निर्णय को कमजोर करता है, जिससे भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की गई थी। कुछ संगठनों ने सरकार से इस फैसले को यह कहते हुए खारीज करने की मांग की है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है।





Indra Sawhney & Others v. Union of India was a landmark public interest litigation (PIL) case in 1992 that challenged the government's decision to implement the Mandal Commission's recommendations for reservations for socially and economically backward classes (SEBCs). The case was heard by a nine-judge constitution bench of the Supreme Court of India, also known as the Mandal verdict. The judgment established several important legal principles, including:

- Limits of state power
- •The state's powers are limited, and quotas cannot exceed 50%.
- Social backwardness
- •The concept of "social backwardness" was emphasized, and 11 indicators were established to determine backwardness.
- Qualitative exclusion
- •The concept of "creamy layer" was established, which applies to Other Backward Castes (OBCs) but not to Scheduled Castes (SCs) or Scheduled Tribes (STs). The creamy layer criterion was initially set at Rs 100,000 in 1993 and has been revised several times since.
- Reservations for disadvantaged groups
- •Reservations for SEBCs are a legitimate means of achieving social justice. However, reservations beyond a certain limit can lead to merit being ignored and disrupt the administration.

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार (21 अगस्त) को भारत बंद का ऐलान किया है। इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के आरक्षण पर फैसला सुनाने के विरोध में किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी इस बंद को अपना सपोर्ट दिया है। राजस्थान के SC/ST समूहों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है।





2. साथ ही, दिनांक 1 अगस्त 2024 के मा. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध SC-ST के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केन्द्र संविधान संशोधन की कार्यवाही करे, जिसको लेकर कल इन वर्गों द्वारा 'भारत बंद' का आहवान, जिनसे इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात् शान्तिपूर्ण करने की अपील।

Translate post

3:19 PM · Aug 20, 2024 · 38.9K Views



#BharatBand की तैयारियाँ हो चुकी हैं, इसबार चुनौतियां है पर संविधानिक ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।

#भारतबंद #भारत_बंद

#Reservation

Translate post





माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमीलेयर व उप वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में देशभर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग ने कल 21 अगस्त को 'भारत बंद' का आह्वान किया है।

मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं अफवाहें ना फैलाएं। हम सभी को समाज में एक साथ रहना है इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े।

Translate post

12:15 AM · Aug 21, 2024 · 78.8K Views



आरक्षण की रक्षा के लिए जन-आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित-वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करनेवालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों-घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा।

जन-आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।

Translate post

8:34 AM · Aug 21, 2024 · 38.8K Views



At least three political parties have extended their support for the bandh. These are BSP, JMM, and RJD.

According to Zee News, three states – Rajasthan, Kerala, Uttar Pradesh – will be impacted the most.

There is no official announcement regarding what will be open and what will be closed. Public transport may get hit at some places.

Organisers have urged people to participate in large numbers, and peacefully.

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर पुलिस

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत बंद के मद्देनजर पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है और सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। विरोध-प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।



भारत बंद 2024: क्या -क्या खुला है?

आपातकालीन सेवाएं: बुधवार को भारत बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज सुचारू तौर पर काम करती रहेंगी।

पुलिस सर्विसेज: सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन (Law enforcement) एजेंसी सक्रिय रहेंगी।

फार्मेसी: देशभर में दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी।

इसके अलावा सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज भी आमदिनों की तरह ही खुले रहेंगे। और यहां कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेगा। sc-st आरक्षण पर मा० सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में

-

प्रातः ६ बजे से रात्रि ८ बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन

आम जनता के लिए जारी एडवाइजरी

हमें आपका १ दिन चाहिए कृपया सहयोग करें। एडवाइजरी ना मानने की दशा में किसी भी नफा-नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन, केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य सरकार और आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

- मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर प्रातः ६ बजे से रात्रि ८ बजे तक सब कुछ बंद रहेगा।
- आम जनता को घरों से बाहर निकलने की कोई अनुमति नहीं है, कृपया शांति बनाए रखें। सिर्फ भीम सैनिक घरों से बाहर निकलकर भारत बंद पर नजर रखेंगे।
- मॉल, दुकान, कार्यालय, रेहड़ी, पटरी, बैंक, एटीएम, मंडी, मार्केट, बाजार, फैक्ट्री, कंपनी, वर्कशॉप, पर्यटक स्थल आदि सब बंद रहेंगे, नौकरों की छुट्टी रहेगी।
- कोई सरकारी या प्राइवेट बस, रेल, मेट्रो ट्रेन आदि नहीं चलेगी, निजी वाहन, कमर्शियल वाहन, टैक्सी, ऑटो आदि सब बंद रहेंगे।
- बड़े या छोटे ट्रांसपोर्ट, ट्रक, ट्राले, मालवाहन, मालगाड़ी, होम डिलीवरी, दूध, फल, सब्जी आदि सब बंद रहेंगे, पूर्ण चक्का जाम रहेगा।
- सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, एलपीजी गोदाम पम्प आदि बंद रहेंगे। वकील भी काम नहीं करेंगे।
- 7. एक दिन के लिए पूरा भारत नीला होगा, कृपया व्यवधान उत्पन्न ना करें।
- 8. भीम सैनिकों की ट्कड़ियां भारत बंद कराएंगी। कृपया व्यवस्था भंग ना करें।
- ९. अपने खाने-पीने की वस्तुएं पहले से सुरक्षित रख लें, सब बंद रहेगा।
- 10. जिला कलेक्टर मांगपत्र लेने सड़क पर खुद चलकर आएंगे।
- ११. पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखें और हमारा सहयोग करे।

निवेदनकर्ता : नवाब सतपाल तंवर (भीमसेना प्रमुख)

निवेदकः भीम सेना एवं समस्त बहुजन दलित समाज और समस्त बहुजन दलित सामाजिक संगठन

Public Transport Disruptions

- Public transport services like buses may be non-functional or have reduced frequency in states like Rajasthan, Uttar Pradesh and Kerala where the bandh is expected to see strong participation.
- Train services are unlikely to be majorly affected as railway employees have not indicated support for the strike so far.
- In Delhi-NCR and Haryana, long queues of vehicles were seen at borders as police barricaded roads to prevent protests, causing traffic congestion.

Essential Services Operational

- Emergency services like ambulances and hospitals will remain open.
- Government offices, banks, schools and colleges are expected to function normally.



भारत बंद होने से परीक्षार्थी परेशान

बिहार : जहानाबाद में भारत बंद को लेकर बंद समर्थकों ने पटना-गया मुख्य सड़क मार्ग-NH-83 को जाम कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को भी परेशानी हो रही है. बंद को लेकर कई अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पैदल चलकर जा रहे हैं.

#BharatBand | #Bihar | #Exam | #Reservation



7:26 AM · Aug 21, 2024 · **755** Views



#WATCH | Bihar: Visuals from Jehanabad where Bharat Bandh supporters have blocked the NH 83 in Unta.

The 'Reservation Bachao Sangharsh Samiti' are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Court's recent judgment on reservations.










IAS में लैटरल एंट्री से आरक्षण खत्म! सरकार के फैसले पर मचा बवाल — जानि...

304K views • 16 hours ago









Congress chief Mallikarjun Kharge credited Rahul Gandh along with other INDIA bloc parties, in ensuring reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes were protected

Published - August 20, 2024 09:38 pm IST - New Delhi

THE HINDU BUREAU













सिर्फ इस एक चीज के चलते SC/ST एक्ट को लेकर उल्टा फंस गई मोदी सरकार, बीजेपी के अंदर हड़कंप; खुद के दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा; High Alert जारी

6 वर्ष पहले

21 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट 1989) के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित समुदाय ने 2 अप्रैल को 'भारत बंद' किया था। इसमें आंदोलन में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

फिर सरकार ने कोर्ट के फैसले से हटकर इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी

दिलत समुदाय की नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट को पुराने और मूल स्वरूप में लाने का फैसला किया। सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फेरबदल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

THE ECONOMIC TIMES Politics

English Edition - | Today's ePaper



Business News + News + Politics + Bharat Bandh: Dalit protests peak over SC/ST Act controversy, 7 killed

Bharat Bandh: Dalit protests peak over SC/ST Act controversy, 7 killed

ET Now | 02 Apr 2018, 08:12 PM IST

Embed



Post a Comment



Violent protests erupted today during a nationwide bandh called by several Dalit organisations against the alleged "dilution" of the SCs/STs Act. Six people have died in Madhya Pradesh, one person has died due to police firing in Alwar, Rajasthan in the violent protests. Following the SC order, the violent protests today hit life across the country with some states ordered closure of educational institutions and curtailed communication and transport services, including rail, incidents of arson and vandalism were reported from Madhya Pradesh, Rajasthan, Utar Pradesh, Bihar and Punjab, among other states.

Latest Videoes







Business News > News > Politics > Bharat Bandh causes losses of several thousand crores

Bharat Bandh causes losses of several thousand crores

ET Bureau

Last Updated: Jul 06, 2010, 04:06:00 AM IST












Bharat Bandh hit economic activity across the country, causing losses of several



Bharat Bandh hit economic activity across the country, causing losses of several thousand crores as railways, road transport and aviation services were suspended in several states and trading activity disrupted across markets.

More than 50 lakh trucks. autorickshaws and taxis remained off the road damaging perishable goods and causing nuisance to commuters. About 200 train services were disrupted and passengers were stranded in Mumbai and the New Delhi airports as scores of flights were suspended.

"We estimate that most of the 52 lakh vehicles remained off-road today, in support of the strike," said G R Shanmugappa, president of the All India Motor Transport Congress. "The total losses arising out of non-transportation of goods could be over Rs 10,000 crore and rollover effect of today's strike in form of goods accumulation could be felt for next few days."





LATEST INDIA CRICKET SUCCESS STORY ENTERTAINMENT LIFESTYLE BUSINESS WORLD AUTO MOBILITY VIRAL FABLES OF FACADES ARCHIVED VIDEOS

News ▶ Business ▶ Economy

BHARAT BANDH

Bharat Bandh causes Rs 32,000 crore loss to economy: Details here

Agitating farmer unions have called for a nationwide strike on Tuesday to press for repeal of the union government's agri laws that is likely to have an impact in major parts of the country.

Written By Zee Media Bureau | Edited By: Reema Sharma | Last Updated: Dec 08, 2020, 11:35 AM IST | Source: Bureau

- Farmers' unions have called for 'Bharat Bandh'.
- Bandh in protest against 3 new farm laws.
- Congress, several other opposition parties extended their support.











Trending Photos







oan ₹10 Lakh



Games & Puzzles

India

Live

India Post GDS Result 2024 Live

CSIR NFT Result 2024 Live

Videos

Photo

Bharat Bandh: Punjab industry faces ₹500-cr loss

By Aneesha Sareen Kumar

Sep 28, 2021 12:55 AM IST









Insightful infographics

While large and medium-scale units remained shut, some small-scale units operated with shutters down across Punjab





COMPLETERECORDED BATCH

FOUNDATION BATCH

Price Price Price



By Ankit Avasthi Sir







99/- ONE YEAR



EXAM DATE

September 2024







Features

- 40 Mock Test
- 10 Practice test
- 4 Sectional Test
- 2 Year PYP
- 60 + Current Affairs





UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

• 50+ MOCK TESTS • 30+ PYQ'S

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR









GA FOUNDATION







6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Date: _/_/_

Title:

→ सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू

- → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्षेतम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंघु भी पंचनद भान में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनार भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्वे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयीजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययं नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।




CALL HOW MAY I HELP YOU CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia




















"Ajmer 92"... इंसानियत को शर्मेसार कर देने वाली घटना! by Ankit Avasthi Sir

675K views • 1 year ago

Ankit Inspires India 4.17M subscribers

"Ajmer 92"... इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना! by Ankit Avasthi Sir



"Ajmer 92"... इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना! by Ankit Avasthi Sir



Ankit Ins...











Share





1992 Ajmer sex scandal: POCSO court awards life sentences to six persons

The scandal involved a series of gangrapes and blackmailing, in which more than 100 school and college going girls of the age of 11 to 20 years were victimised

THE HINDU BUREAU











अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने 20 अगस्त, मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने नफीस चिश्ती (54), नसीम उर्फ टार्जन (55), सलीम चिश्ती (55), इकबाल भाटी (52), सोहिल गनी (53), सैयद जमीर हुसैन (60) को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। स्कैंडल के वक्त इन सभी की उम्र 20 से 28 साल थी।



6 दोषियों को 20 अगस्त 2024 को उम्रकैद



सोहेल गनी



नफीस चिश्ती



जमीर हुसैन




सलीम चिश्ती



इकबाल भाटी



नसीम उर्फ टारजन



आज हम बाते करने वाले है राजस्थान के प्रसिद्ध जिले अजमेर के बारे मे , अजमेर के बारे मे तो आप सब जानते ही होंगे दुनिया में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का स्थान राजस्थान का अजमेर और जगत पिता ब्रह्मा जी के पवित्र स्थल तीर्थराज पुष्कर के कारण धार्मिक पर्यटन नक्शे पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है. जिसे गंगा- जम्नी संस्कृति के रूप में आज भी जाना और पहचाना जाता है.

यहां की आबोहवा में सन् 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा घट-गुजर रहा था जो ना सिर्फ गंगा-जमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने-बाने पर बदनुमा दाग बन उभर रहा था. आज हम बात करने वाले है




क्या है अजमेर 92 की असल कहानी ?

साल था 1992 और तारीख थी 21 अप्रैल, इस दिन एक अखबार दैनिक नवज्योति ने बड़ा खुलासा किया, तब यहां के स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता की छापी एक खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. खबर में स्कूली छात्राओं को उनके नग्न फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शौषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया था.

"बड़े लोगों की पुत्रियां 'ब्लैकमेल का शिकार'

शीर्षक से प्रकाशित खबर ने पाठकों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल ला दिया. जिसके बाद सामने आया कि अजमेर में रसूखदार परिवारों के लोगों ने स्कूल और कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों (अलग अलग अखबार मे अलग अलग नंबर दिया है) को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण किया। दावा किया गया कि इनमें से कई लड़कियों के साथ गैंगरेप भी किया गया है। हालांकि, उस दौरान ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण इस मामले को दबाने की कोशिश भी की गई।

क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए. यह कैसे हो गया? कौन हैं? किसके साथ हुआ? अब क्या करें? कैसे करें? वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन कानों-कान हुई खुसुर-पुसुर ने खबर को आग की तरह फैलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा.



स्कैंडल के बारे में कब पता चला?

अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड के खुलासे वाले नवज्योति के चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी बताते हैं 1992 में हमारे एक रिपोर्टर संतोष गुप्ता थे। वो एक खबर लेकर आए और उसे पब्लिश की, लेकिन उस खबर पर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि वो बहुत ही सीरियस खबर थी। फिर वो मेरे पास आए और इस स्कैंडल के बारे में जानकारी दी।

उसी लैब के पास मैं खड़ा था तभी एक शख्स आया और 4 रील खरीदी, लेकिन उस रील के बदले उसने चौगुना पैसा दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि उस रील में क्या खास था? वहां पर मेरे साथ एक दोस्त था, उससे मैंने इसके पीछे की कहानी जाननी चाही। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मेरी जिद की वजह से उसने 4 रील मुझे दे दी। जब मैंने वो रील देखी तो उसमें लड़कियों के रेप वीडियोज और फोटोज थीं।

उन्होंने मुझे बताया- अजमेर के अनाज मंडी में एक भरोसा लेबोरेटरी थी। वहां पर फिल्म्स के निगेटिव पर काम होता था।

जब यह सब मैंने सुना तो रिपोर्टर संतोष से कहा कि वो इसी न्यूड फोटोज को खबर में छाप दें। मैंने ऐसा कदम इसीलिए उठाया क्योंकि ऐसे भयानक स्कैंडल को खत्म करने के लिए ये जरूरी था। हालांकि, फोटोज में जो प्राइवेट पार्ट थे, उन पर हमने काली पट्टी लगाकर बाकी सब छाप दिया था। दूसरे दिन जब ये खबर लोगों के सामने आई, तो जबरदस्त हल्ला मच गया। इस खबर के सामने आते ही बार एसोसिएशन के सारे वकील इकट्टा हो गए और SP और कलेक्टर के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने इस केस में कार्रवाई की मांग की। उनके इस कदम से कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।



चौधरी कहते हैं, अजमेर में एक श्रीहरि रोड है, जहां पर कोई एक कॉलेज था। एक दिन उस नामी कॉलेज के बाहर से एक लड़की रोती हुई जा रही थी। तभी कुछ रसूखदार लड़के गाड़ी से कहीं जा रहे थे। जब उन्होंने उस रोती हुई लड़की को देखा तो वो उस लड़की के पास गए और रोने का कारण पूछा। इस पर उस लड़की ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से कॉलेज वाले एडिमट कार्ड नहीं दे रहे। उन लड़कों ने लड़की को ढांढस बधाया और उसकी फीस जमा कर दी।

फिर रोज उस लड़की से मिलते रहे। एक दिन उस लड़की को घर छोड़ने के बहाने वैन में बैठा लिया। फिर वो उस लड़की को हटूंडी में अपने फार्म हाउस ले गए और उसके साथ रेप किया। फिर उन्होंने रेप के दौरान ही उसके साथ कई न्यूड तस्वीरें उतारीं। इसके बाद वो उस लड़की को रोज बुलाते और उसका रेप करते थे।

किसी को बताने पर फोटोज वायरल करने की धमकी देते। कुछ दिनों बाद उन लड़कों ने कहा कि वो अपनी दोस्त को साथ में लाए। पहले तो उस लड़की ने मना कर दिया, लेकिन फोटो वायरल हो जाने के डर से वो अपनी दोस्त को साथ ले गई। फिर उन लड़कों ने उस लड़की का भी रेप किया। फिर उन्होंने उन दोनों लड़कियों से और लड़कियों को लाने के लिए कहा। ऐसे ही करके बहुत सारी लड़कियां इस जाल में फंसती गई।

इस तरह एक-एक कर 100 लड़कियां हवस का शिकार बन गई। 100 लड़कियों के साथ हैवानियत हुई तो वहीं करीब

250 लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स सर्कुलेट हुई। एक के बाद एक कई लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था।

इस अखबार की खबर से ये सब करने वाले गिरोह का भांडा जो फूट चुका था. खबर में गिरोह के लोग धार्मिक—राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक सभी तरह से प्रभावशाली बताए गए थे. लिहाजा शासन-शासन में मानों भूकंप सा गया.

समाजकंटक अपने कुकर्मों के साक्ष्य मिटाने में लग गए तो ओहदेदार अपने उच्च रसुकातों से खुद को बचाने में. पीड़िताओं के परिवारजन अपने इज्जत के खातिर नगर से अपना नाता तोड़कर दबे पांव अन्यत्र कूच करने की जुगत-जुगाड़ में जुट गए. वहीं प्रशासन के लोग शासन के आदेश की पालना में तो उधर शासन अपने सिंहासन और कुर्सी बचाने में व्यस्त हो गया.



वीडियोज और फोटोज लीक होने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ?

आरोपियों ने फोटो रील डेवलप होने के लिए जिस लैब में दिए, वहीं से न्यूड तस्वीरें लीक हो गई। न्यूड तस्वीरें देख लैब के कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई। उन्हीं के माध्यम से बाजार में तस्वीरें आ गई। मास्टर प्रिंट तो कुछ ही लोगों के पास थे, लेकिन इनकी कॉपियां शहर में सर्कुलेट होने लगीं। ये तस्वीरें जिसके भी हाथ लगीं, उसने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

इसी बीच एक-एक कर कॉलेज की 6 लड़िकयों ने सुसाइड कर लिया। इस स्कैंडल की जानकारी लोगों को नवज्योति में खबर छपने के बाद हुई थी, <mark>लेकिन इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी</mark>



कौन थे ये रसुखदार लोग ?

इस कांड का असली गुनाहगार कॉग्रेस नेता और अजमेर शरीफ दरागाह का खादिम (सेवक) था।

मास्टरमाइंड अजमेर शहर के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष खादिम फारुक चिश्ती, खादिम नफीस चिश्ती और खादिम अनवर चिश्ती था।





क्या इन सब के बारे मे पुलिश को पता था ?

अजमेर की शान और पहचान में बदनुमा दाग के अखबारों के जिए जाहिर होने से पहले अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने गोपनीय जांच में ही यह खुलासा पा लिया था कि गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुदाम-ए-ख्वाजा यानी खादिम परिवारों के कई युवा रईसजादे शामिल हैं. इतना ही नहीं पुलिस ने यह भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से वे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी.

जिला पुलिस प्रशासन को यह अच्छी तरह पता चल गया था कि पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी पर भी हाथ डाला जाएगा तो नगर की शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने का बड़ा जोखिम होगा और यदि शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेंगे तो क्या पता इसमें अजमेर के किन-किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठत परिवारों की बिच्चयां प्रभावित हों. नगर के कौन-कौन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी या उच्च पदस्थ राजनीति जनप्रतिनिधि तक इसके तार जुड़े हैं लिहाजा बहुत ही सोच विचार के बाद स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भाजपा के भैरोंसिंह शेखावत को स्थित से अवगत कराया.

देनिक नवज्योति

ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 माह पूर्व दे दी थी

संतोष गप्ता

अजमेर, 16 मई। कमित स्कूली आजाओं को स्थाधिचार केशिकाने में नकदने बाले समाज कटक गिरोह द्वारा श्वेत पोशी की आढ लेकर नवर में सालों से खिलाए जा रहे गुल की ख़फिया जानकारी गुप्तचर विभाग पांच माह पूर्व अपने उच्च अधिकारियों को मेब चका था।

खुफिया विभाग के पुरुत सूत्रों के अनुसार गुप्तचर पुलिस ने उच्च अधिकारियों को यह संकेत दिए थे कि नगर में एक ऐसा गिरोह संक्रिय है जो कि स्कृती छात्राओं को स्याप्तिचार के शिक्त में जकड़कर उनकी

विश्वियों फिल्में उतारता है। गप्तचर पत्तिस ने य

गुप्त बर पुलिस ने यह भी जानवारी एकत्र की भी कि गिरोह के सदस्यों के सम्बन्ध बम्बई की पाश काल गर्लों से है, जिन्हें ठीन -शीन आर - चार के गुट में अजमेर मुलाकर गिरोह के सदस्य क्यू फिल्में तैयार विसा करते है।

मुत्रों के अनुसार गिरोह में अन्दर कोट निवासी धनाइम सादिम परिवारों के लड़कों सहित करीब पन्द्रह पूबक शामिल है। जिनमें नगर की राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाले प्रवेतपोश नौजवान की है।

ख्यांच्या पुलिस ने इस बात की भी जानवारी एकन की बी कि गिरोह नवर की प्रतिष्ठित मिशनरी स्कून व सरकारी सहायता प्राप्त हिन्दी स्कूलों की करीब पैतालीस छात्राओं को अपने शिक्कों में लेकर उन्हें

व्यक्तिचार के रास्ते पर धकेल चुका है।

मुत्रों के अनुसार गिरोह के संदर्भ उक्त छात्राओं के निर्वस्त्र छायाधित लेकर ट्रिक परेटोवाफी के जरिये उन्हें बीडियो क्यू फिल्म के साथ जोड़कर बाहरी प्रदेशों में सप्लाई कर अच्छी रक्म हासिन किया करता है। इसके बाब बूद प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर सका।

खुफिव्ह विभाग की उनल जान करी की पृथ्टि इस तब्ब से भी होती है कि अवलील खबाबिव करण्ड में लिप्त किन्तु आज तक कानून को ठेंगा दिखाकर खुले चूमने वाले सीहिलमनी व पुरान इलाहाबादी दोनों ही बीडियो फिल्म कर स्वत्रसाय किया करते हैं।

मुत्रों के बनुसार पुत्तन इलाहाबादी वह युवक है जो कि नगर में आटो रिक्शा चलाया करता था। कुछ ही समय में वह बीडियो फिल्म कैसिट वह व्यवसाय करने लगा।

एक और महत्वपूर्ण बात सोजबीन के बीरान सामने आई जिससे समूचे जिला पूर्णिस प्रशासन पर अंगुली उठाई जा सकती है। अपूर्ण तूनों के अनुसार इस करण्ड में लिपत इलाहाबाद स्थित दाम जागित निवासी मसीब उल्हा कर पूत्र 29 वर्षीय नसीम अहमद उर्फ टाउंन तीन वर्ष पूर्व हत्या के आरोप में करारी कराने अवसेर आकर बसा था। गूनों के अनुसार टाउंन और उसके छोटे भाई ने मिलकर अपने सांब के मल्लाह नामक बादमी का सुन वर दिया था। बताया जाता है कि वह परिवार में सम्यन्त व प्रणी व्यक्ति है तथा

वामिल गांव में जसके बालू के खेत है।

दूसरी ओर जिला पुलिस प्रशासन नशीम अहमद उर्फ टार्जन को निर्दोष व निरायत शरीफ प्रवक मानता है। इस काण्ड में मोपनीय तफतीका करने वाले पुलिस

सामने का सकेची जबकि टार्बन उर्फ नशीय अहमद हाल ही में निवाह कर वैवाहिक जीवन मुजार रहा है।

शूची के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने एक प्रभावशाली अधिकारी के पृत्र और उसके

ब्लैंबमेल कारत के दो लायक एक देवस स्पती को वदरन पाल में बांधकर फोटो चिचवाते

विश्ववारी के अनुसार नसीम जहमद वर्ण टार्जन इस मामले में निर्दोष पकता गया है। सच्चाद क्या है यह तो अब तसदीक के जब ही

वरीबी रिश्ते की बहन को अपने जान में फसा रक्षा था।

मिरोह के गदस्य उक्त शहकी से धन

आदि की की मांग किया करते थे। एक - वेड़ साल तक यह सिलीमला चलता रहा। आसिर उस लड़की ने बाहरी लोगों द्वारा बार - बार जलील किए जाने से तब बाकर अपने अधिभावकों के आये इस मामले कर खुलासा कर दिया।

नतीज्ञान जीम मानकों की राप से जब स्थय लड़की मिरोह के कुछ सदस्यों के लिए गले की हड़ी बन गई।


मुत्रों के अनुसार उस्त लड़की ने उसके शाब घोटा करने बालों को इस बात की धमकी दे दी कि वह स्वयं उनका मण्डाकों ह

कर देवी ।

पही वह समय या जब गिरोह के सदस्य तक हो यए। इस बीच उक्त लड़की के अभिभावयों ने अपने प्रभाव के जरिये मामला जपरी स्तर पर ही निपराने की जगाड़ कर डाती। जिससे गप्तचर विभाग की खफिया जम वारी भी फाइल में बंद रह गयी। इधर गिरोह के सदस्यों ने बागदीह कर अपने जान के दसों कोशों में लिप टे लोगों को इटोल लिया व उन्हें मामला सतने के परिमामों से अवगत कराते हुए मृह बंद रसने के फरमान जारी कर दिए। लिहाना इस वाण्ड में उलक्षयर स्वयं को तिल तिलकर मारने वाली छात्राओं की वींद्र हराम हो गई। जिन अभिभावकों को अपनी लाडली की मूल का जहसास हो गया व नगर से सखसत होने की उधेडबन में लग गए। बहरहाल मामला अब जन बदालत की भीसट पर सदा है।

अब आप कहेंगे की उस समय के मुख्यमंत्री जी ने सब पता होने के बाद कुछ किया या नहीं ----

बताते हैं कि भैरोसिंह शेखावत ने शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने और अपराधियों को नहीं छोड़ने के स्पष्ट संकेत देते हुए इस मामले में समुचित एक्शन लेने को कहा. बावजूद इसके जिला पुलिस प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका उलटा यह कि इस दरमियान संभावित आरोपितों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले साक्ष्य मिटाने और अजमेर से भाग जाने का अवसर मिल गया.



खबर छपने के बाद क्या कार्यवाही हुई ?

अखबार में स्कूली छात्राओं को अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के कांड की पहली खबर प्रकाशित होने के लगभग एक पखवाड़े बाद भी जिला पुलिस और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसके बाद युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर "<mark>छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रहे गए</mark>?" शीर्षक से प्रकाशित किया.

दैनिक नॅवज्योति

छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गये?

क्याचित्र कारहें आली विद्यान के करण समली मुनाती जिले से तैनाव देश होता। नहीं अधिक जिला पतिन प्रशासन की कारायों है क्सन होकर रह गया है।

यह बात उन तमाम तथ्यों के आधार पर थे। करी ना सकती है जो कि इसवादगता की सोजबीन के दौरान समित हुए।

मुझे के अनुसार जिला पुनिम को एक नहीं अनेक ऐसे नीके जिसे में जिस पर सही क्योंबाडी कर करन्द्र में निग्त विशेष्ट के उन मधी रनहणारों को नेत के मीसची के ऐसे सदा किया जा बकता था। किन्तु ऐना नहीं

जिला पुनित प्रशासन के हाथों पत्ता पक्त होने के बावनूद कोई क्षेत्र योजना नहीं बनाई गई जिल्ली जरम्बत समय पर भाउगारों क्रे रगे राषों रभोषा जान करा था।

यहां यह भाग नी मत्य है कि इस प्रकाश तथाज के उन जागरफ लोगों ने धेनों हाथ रैला कर पायदा उठा निया जिलके वस्ते में वे लवा विक पहुंच गए। समाज को दिशा व हाना देने बाने उन लोगों ने छाया वर्षों से परिये जन लोगों को लोग लिया विन्हें मेरो ने केंद्र होकर रह गया था।

जिन ओसी को यह कायदा नहीं पहुंच पर जनहोंने जनन सायाचित्रों में से क्छ चीना जातान के उच्च अधिकारियों के हाथी से

सौधतेसमय उन भोगो नेएक ऐसीमा तकती निममें जिला प्रेलाव के उच्या प्रकार में कि अर्थ निममें होत्या अध्यान के बोल्सेन के हीतन प्राप्त उच्यों के बात की नामकार मिनी कि कोटी रिपर प्राप्त प्रमणि नर्केत हो तए। परिल्यमक्कर होर मं उन स्कले क्यांतर प्रसान के हाधार पर बाज ने प्रकार नर कार ने में स्वार निकास करते है वह जाती के बीरवे चीला प्रशासन के हाथों में सा तिनन करते हैं। मने को उच्च स्तर पर गोपनीय रखे करने कर फ़ायाचित्र निया करता था। यह चित्र पून विशेष में नित्न साहित्र यहने के बोहमानदे पैन मुनवाई गई थी।

अन्तरेत । १ वहा वहचीरत बहचील पर जनमें स्वची हो यह कह करने पेकिपीर पांचे होनरे बाने से हो होगा। नहीं वहर भी पूजन किया

बाली इलक्ष अर्थ की के अरण्डादे कर्न में बाली महिक हारे। नहीं बान के में के बार किया किया किया है।

कि उन्होंने केन्द्रश मोनी को भी एक - दा

बब पता प्रश्न उठना है कि वे चेतरे हैं। च नव उनके पता गर्राधन रसे है दिन जमत

इस प्रयास से साहित संक्रितरानी स



मानम प्रवतियों को स्थापिकार की अधिक में प्रवेतने बाते दर्शना अपराधियों से विरुद्ध करें। नका प्रशासन के धान है मगर दिन बी प्रशासन के हाथ जाने किया जोतीर ने अकड राते हैं। उन्होंच क्वीच्यों के हिन में उनके बिद्य क्वीचन बिद्यों के माथ प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं।

जिला प्रिक्त प्रशासन में इस प्रकरण में है - तीन बान पढ़ के हैर में केन्द्र ने मात्री) को गाँद के एक प्रतिष्ठित कार्जिटेसर विमात वहीं में उन्हें वह जलकारी मिन्दि कि टार्जन कैनारा भेती व ज़ीन्द्र प्रीत्स के हाथी गया है? तस भोती व नहेंद्र रार्च नामक से ऐसे शोरी के विवरण शारतों भीत नामकार है। जे नामक व कोन्द्र नामक एक्कों ने उसके रीत वो उन्होंने वरते से बी वक वमर नेव पर 'कासा' यह सा

रिकारी (दिवारो परिवार का सम दिएएस भी नहीं)

पुलित की वही कार्यक्षी काराहोत विकास प्राणानी के साथ तथा कर उनके की विकास में के लिये में स्थित स्थान विकास होते. हमा दिना अने कार साथ तरी कर कार का कार प्राणानी कर कार की मही प्रगाने अनुसार जिल्ले भी प्राथित सीचे तस है। सभी ने ताकान उसकी तनाता शह कर ही य जनके घर का पहले। इंग्लेंग्य में उस दिन बड पर पर अकेन्द्र ही विश्व सभी ने मिन्द्रन बाह्य में ही यांगी ने प्रीमन में प्रकर्तरायों के समान ने बनाने के जिए इसे उनके बहिनक ने ही कहा था। उनने एक - एक बी जगह से - दो कौरी । जब नेताओं द्वारा दिलती व जनगर में बैठे अर्थ

> पोटो देने को कहा। दन पोटो में बही हो तीन जान करते हुए राज्य से मुख्यमंत्री पैरोनिन भोरों क्रम होने पर भी कि आफिटेस्ट के नाई। शोसाबत व अन्य बॉल्स प्रीक्त अधिकारिय

नेव मानिक ने इस बात को पी स्वीकात कि अपगाधी विना जिली शिवन के नेमर नहांका उपन भोते उससे सीर्वारत उससे अन्यदो । कार की सहकी पर विकाद देने लगे हैं।

इचर सभी संबन्ध हाथ लगाने पर शीहिल ब नाबी जनत आधिरेनट के घर पहले व जर्म नाम्यन्त में गुलिन जर महानिशिक्षक आवारे बाफी दरा ग्रमका फोटो हथियाने का प्रधान रेन्स ओबेन्द्र जारहाज से पाइन्छ करने प किया गया, जिल्ला बाई उन्हें सफलता नहीं मिल - उन्होंने एक शब्द में कहा कि अनीहत में ह

वीपवारों ने नेन होकर गावी ने उनता प्रकारी बान कर थे। विससे मीहिल के उनके वालेन्टी महा कि प्रकरण सनस्ताओं व अन

बारों व क्या करत को दिल्लात में लेकर करी बचना के निर्देश प्रकारत करने पर जान हिना बीनाग परित्य बार पर रक्षा कर्त जनके

इत देवना प्रतिमं प्रशासन पर हवा व हालते।

नाथी उसे पकदकर उसत नेथ के शांभिक के और निर्देश फिलते ही जिना पीना प्रशासन

खबर के साथ नग्न फोटो भी किए गए प्रकाशित

इस बार के साथ वह फोटो भी प्रकाशित किए जिससे अजमेर में छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सकता था. फोटो के प्रकाशन के बाद तो समूचे राजस्थान में जैसे कोई त्फान आ गया.

तीसरी खबर ''सीआईडी ने पांच माह पहले ही दे दी थी सूचना!'' शीर्षक से प्रकाशित हुई.

चौथी खबर में प्रदेश के गृहमंत्री भाजपा के दिग्विजय सिंह का बयान आया ''उन्होंने डेढ़ माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छाया चित्र''



छात्रा ब्लैकमेल कांड

गृहमंत्री ने डेढ़ माह पूर्व अश्लील चित्र देख लिए थे!

- सन्तोष वृप्ता अजमेर, 17 मई। क्या भारतीय छानून इतना नाचार है जिसके तहत छात्राओं के अश्लील छायाचित्र सींचकर उन्हें ब्लीबमोल करने जैसे जघन्य काण्ड में लिएत लोगों के खिलाफ कार्यवाही हेत उसमें कोई धारा नहीं है? यह प्रश्न आज इस संवाददाता की राज्य के गृहमंत्री दिग्वजय सिंह ने साथ हुई एक भेंटबार्ता में उनर कर सामने आया।

इस भेंटबार्ता में गृहमंत्री ने स्बयं इस बात का रहस्योदघाटन किया कि कमसिन स्कली-छात्राओं के निर्वस्त्र अवलील छायाचित्र उन्होंने डेढ माह पहले ही देस लिए वे। श्री सिंह की इस स्वीवृति के बाद यह मामला और उसझ गया है। साथ ही ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति सरकार व पुनिस प्रशासन कितना संवेदनशील है इसकी भी पोल खलकर सामने आ गई है।

बातां के दौरान गहमंत्री ने स्पष्ट किया कि

उन्होंने इस काण्ड से संबंधित जिल्हां भी छामाचित्र 75-100 हैं, वे डेंड माह पूर्व ही

गृहमंत्री से जब यह पूछा गया कि उन्होंने जानकारी होने के बाद नया कदम उठाए? जवाब में श्री सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओमेन्द्र भारद्वाज की ओर

भारद्वाज ने तरन्त सफाई देते हुए कहा कि इस काण्ड में लिप्त चार जनों की पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में घारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था जिन्हें दो दिन न्यायिक हिरासत में रखने के पश्चात अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया।

गहमंत्री से जब यह पूछा गया कि इस काण्ड में लिप्त अपराधियों के सिलाफ नया इस धारा में कार्यबाही करना पर्याप्त था। पनः श्री भारद्वाज ने जबाब दिया कि रिपोर्टकर्ता के अभाव में पीतम किसी भी अपराधी वे खिलाफ जन्य किसी धारा में मामला दर्ज

संवाददाता द्वारा जयपूनः यहसवाल किया गया कि क्या इससे तारपर्य यह लगाया जाए कि ,काण्ड में लिप्त अपराधियों के रिपोर्टकर्त के अभाव में कानन की किताब में कोई अन्य धारा नहीं है जिसके तहत पुलिस मामले में रपज दर्जकर वार्यवाही कर सके।

जबाब में गृहमंत्री व डी. आई.जी. मौन हो गए। संवाददाता ने जब यह जानकारी बाही कि अखबार में प्रकाशित फोटो के आधार पर पतिस ने क्या कार्यवाही की।

जवाब में गृहमंत्री व बी,आई,जी, ने कोई कार्यवाही करने पर पनः अपनी मजब्री

इस बार गृहमंत्री ने कहा कि असबार बाले स्वयं मुकदमादर्ग क्यों नहीं कराते? इस पर संवाददाता ने कहा कि यह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पिलस चाहे तो असबार को आधार मानकर मुक्दमा दर्ज कर सकती है, ऐसे कई उदाहरण रहे है।

इसका गृहमंत्री सन्तोषजनक जनाय नहीं दे सकेबरिक उन्होंने यह कहते हुए बातचीत को बंद करना चाहा कि हम इस मामले की पनः नए सिरे से जांच करा लेंगे।

उन्होंने कहा कि यदिजिला पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्यवाही नहीं कर सब्य तो मामला पुलिस काइम या अन्वेषण ब्युरोको सौंपा जाएगा।

अश्विर में गृहमंत्री को जब यह पूछते हुए टटोला गया कि मात्रावित को बढ़ावा देने बाली सरकार की मंशा कहीं इस मामले को दबाने की तो नहीं है। गृहमंत्री ने तपाक से कहा कि यह झुठा आरोप है। सरकार इस मामले पर अवश्य कार्यवाही करेगी।

जयपुर रबाना होने से पूर्व गृहमंत्रीने पुनिस उप महानिरीक्षक अजमर रेज ओमेन्द्र भारद्वाज को इस मामले पर शीघ ही नए सिरे से जांच कराने के स्पष्ट निर्देश दिए।

(अतिम प्रष्ठःभी देखें)

इतना सब होने के बाद क्या हुआ ?

इसके बाद क्या था जनता ने सड़कों पर उतर कर "अजमेर बंद का ऐलान" कर दिया. शासन और प्रशासन पर भारी दवाब पड़ा. नगर के जागरूक संगठन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सिक्रिय हो गए. स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिन्दू लड़िकयों के साथ किया जा रहा था. इसे लेकर विश्वहिन्दू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्टियां तान ली.



अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने मीटिंग कर शहर के बिगड़ते हाल और हालात को लेकर आपस में चर्चा शुरू कर दी और पीड़िताओं के अभाव में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उचित मार्ग खोजना शुरू कर दिया. वकीलों के शिष्टामण्डल ने तत्कालीन जिला कलक्टर अदिति मेहता से मुलाकात की. पुलिस अधीक्षक एम.एन धवन की मौजूदगी में हुई वार्ता में रास्ता निकाला गया कि जिन भी आरोपितों को पहचाना जा चुका है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला जाए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो और माहौल साम्प्रदायिक ना बने.

इसी बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि जिला पुलिस प्रशासन को सबसे पहले अजमेर के युवा भाजपा नेता और पेशे से वकील वीर कुमार और विश्व हिन्दु परिषद के पदाधिकारी ने फोटो उपलब्ध कराकर षडयंत्र पूर्व हिन्दू लड़िकयों का मुस्लिम युवकों द्वारा यौन शोषण किए जाने की सूचना दी थी. साथ ही यह भी मंशा दर्शाई थी कि यदि कानूनन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो हिन्दू संगठन कानून अपने हाथ में लेने से नहीं चूकेगा.

इन सब के बाद क्या ?

जिला पुलिस प्रशासन ने भाजपा और हिन्दूवादी संगठनों की इस चेतावनी से ही थोड़ी सिक्रयता तो दिखाई, लेकिन तत्कालीन उप-अधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा. गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो जिला प्रशासन के हाथ पैर ही फूल गए. जिला पुलिस प्रशासन ने मामले का खुलासा किए जाने और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेले जाने के बजाय पूरा प्रकरण ही ठंडे बस्ते में डालने कवायद कर डाली.

तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेन्द्र भारद्वाज ने वाकायदा प्रेस कांफ्रेस कर खुलासा किया कि मामला वैसा नहीं है जैसा प्रचारित किया जा रहा है अजमेर कि स्कूली छात्राओं के साथ किसी तरह का षडयंत्र पूर्वक ब्लैकमेल कर यौन शोषण नहीं किया गया है. मामले में जिन चार लड़कियों के साथ यौन शोषण होने के फोटो मिले हैं, पुलिस ने उनकी तहकीकात में पाया कि उनका चरित्र ही संदिग्ध है.



पुलिश के इस बयान के बाद जनता और भड़क गई –

पुलिस महानिरीक्षक के बयान अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद अजमेर ही नहीं राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए. जगह-जगह मुलजिमों को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठने लगी और पीड़िताओं को न्याय देने की आवाज बुलंद होने लगी. कस्बे बंद होने की खबरें आने लगीं. राजस्थान की भाजपा सरकार पर प्रकरण को लेकर भारी दवाब बना.



विपक्ष क्या कर रहा था ?

तत्कालीन कांग्रेस नेताओं जिनमें वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा सिहत अनेक कांग्रेस नेताओं ने ही अजमेर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण अपराध की निंदा करते हुए अपराधियों को सजा दिए जाने की मांग उठानी शुरू कर दी. कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण की जांच सीआईडी से कराए जाने का भी भाजपा सरकार पर दवाब बनाया.

जनता और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार जागी और 30 मई 1992- मामला सीआईडी सीबी के हाथों में सौंपा गया

आखिर 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने मामला सीआईडी सीबी के हाथों में सौंप कर जांच कराए जाने का ऐलान कर दिया. इसकी सूचना अजमेर जिला पुलिस प्रशासन को मिली तो अजमेर जिला पुलिस प्रशासन के मिली तो अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने सीआईडी सीबी के हाथों जांच शुरू होने से पहले तत्कालीन उपअधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा के हाथों एक सादा पेपर पर प्राथमिकी लेकर उसे दर्ज कर लिया. इससे जिला पुलिस की भद्द पिटने से बच गई.

पुलिश ने जांच की और पहली रिपोर्ट मे चौकने वाले खुलासे हुए।



क्या खुलाशे हुए पुलिश की जांच मे ?

पहली रिपोर्ट में गोपनीय अनुसंधान अधिकारी होने के नाते हिर प्रसाद शर्मा ने उन चारों अश्कील फोटो का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट दी. जिसमें लिखा था ''अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो खींचे गए. इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया साथ ही उनका यौन शोषण हुआ. साथ ही उनपर अन्य लड़िकयों को लेकर आने का दबाव गिरोहा द्वारा बनाए जाने की जानकारी मिली है.''

रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि गिरोह में सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक रूप से प्रभावशाली युवा शामिल हैं. फोटो के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने दो-तीन पीड़िताओं की पहचान होने का भी पुलिस केस में जिक्र किया और मामले की आगे जांच होने पर अन्य अपराधियों के नाम भी सामने आने की संभावना दर्शाई.

अजमेर जिला पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी एन.के पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए और 31 मई 1992 से जांच अपने हाथों में लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया. जांच शुरू हुई तो गिरोह में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्लाह उर्फ मेराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेसली उर्फ बबना एवं हरीश तोलानी नामक अपराधियों के नाम सामने आए.



ये मामला खुला कैसे ?

इनमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था. जहां अपराधी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और अपराधी सोहेलगनी छात्राओं के साथ यौन शोषण की नग्न रील धुलवाने और प्रिंट बनवाने के लिए लाते थे. फोटो प्रिंट के लिए कलर लैब का मालिक घनश्याम भूरानी के माध्यम से लैब पर आती थी.

जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम उर्फ बबना रील से प्रिंट बनाया करता था. यही वह व्यक्ति है जिसके जिरए सबसे पहले स्कूली छात्राओं की नग्न अश्लील फोटो अपराधियों को सबक सिखाने और मुस्लिम युवकों द्वारा छात्राओं का यौनाचार बंद कराए जाने के उद्देश्य से कलर लैब से बाहर निकल कर पहले एक आर्किटेक्ट के पास पहुंचे, फिर वकील के माध्यम से भाजपा नेता वीर कुमार के पास पहुंचे. इससे अपराधी सजग हो गए और उन्होंने साक्ष्य लीक करने वाली कलर लैब के मालिक धनश्याम भूरानी का गला पकड़ लिया. फिर क्या था मामला प्याज के छिलकों की तरह खुलने लगा.

कहते है सीआईडी सीबी ने अनुसंधान करते हुए सियासी दबाव में काम किया. यही वजह रही कि जिस फोटो लैब के मालिक, टेक्निशियन, मैनेजर को सरकारी गवाह बनाया जा सकता था, उनमें से मालिक को तो छोड़ ही दिया और मैनेजर व टेक्निशियन को अपराधी बना दिया. आखिर अच्छी मंशा रखने के बाद भी मुलजिम बन जाने तथा अपराधियों द्वारा निरंतर प्रताड़ित किए जाने से निराश एवं हताश, पीड़ित होकर पुरुषोषत्तम ने जमानत पर रिहा होने के कुछ दिन बाद ही पत्नी के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली.

स्कैंडल में जिन लड़िकयों की फोटोज खींची गई, उनमें से कई लड़िकयों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी शुरू कर दी. उन दिनों में अचानक एक के बाद एक करीब एक दर्जन लड़िकयों ने सुसाइड कर लिया. इस घटना में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इन लड़िकयों के लिए न समाज और न ही घरवाले आगे आए, मामले के खुलासे में यह एक दुखद कड़ी साबित हुआ.



गिरफ़्तारी कैसे हुई ?

इसमें कई लड़िकयां थीं जो इस गलत काम के बाद ही खुद की पहचान छिपा कर रखना चाहती थीं। इसी वजह से कईयों ने अपने ठिकाने बदल लिए थे, तो कईयों ने अपने नाम। कई लड़िकयों के बारे में तो कोई जानकारी भी नहीं है। वो कहां गई, कुछ भी नहीं पता।

पुलिस का उन लड़िकयों को पूरा सपोर्ट था, फिर भी डर से कोई भी बयान देने को तैयार नहीं था। बाद में एक NGO ने वायरल फोटोज के जिरए 30 लड़िकयों की पहचान की। फिर उनसे इस मसले पर बात की गई। बदनामी के डर की वजह से अधिकतर लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। बड़ी मुश्किल के बाद 12 लड़िकयां केस दर्ज कराने के लिए राजी हुई। जब ये बात रसूखदार परिवार को पता चली, तो उन्होंने इन 12 लड़िकयों को धमकाना शुरू कर दिया, जिस कारण 10 लड़िकयों ने अपने नाम वापस ले लिए। फिर बची हुई 2 लड़िकयों ने 16 अपराधियों की पहचान बताई, जिसमें से पुलिस सिर्फ 11 को अरेस्ट कर पाई।

क्या सभी लड़कियों को इंसाफ मिला ?

पीड़ित लडिकयों के आधार पर करीब 16-17 आरोपियों की पहचान हुई. एक अलमास महाराज को छोड़ कर वर्तमान में सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. अलमास महाराज विदेश में अमेरिका न्यूजर्सी में होना बताया जाता है. मामले में वर्तमान में पांच आरोपियों सोहेल गनी, इकबाल, जमीर, सलीम को छोड़ कर सभी की सजाएं पूरी हो गई हैं. जिनकी सजाएं पूरी नहीं हुई है वे जमानत पर हैं.

100 से ज्यादा इन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है. कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है. जिन लड़िकयों के साथ हैवानियत हुई, उनकी आज उम्र 50 से 54 साल के पार हो गई है, लेकिन उनको आज भी इंसाफ का इंतजार है. <mark>2018</mark> में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया. आरोप है की अजमेर ब्लैकमेल कांड में फारुक, नफीस के साथ अनवर, मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमशुद्दीन, सुहैलगनी, कैलाश सोनी, महेशलुधानी, पुरुषोत्तम, हरीश तोलानी वगैरह लड़कियों के यौन शोषण के लिए फार्महाउस और एक पोल्ट्री फार्म पर लेकर जाया करते थे. उनका यौन शोषण करते थे और अश्लील तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल करते रहते थे.

1 THIS STORY IS FROM FEBRUARY 16, 2018

Main accused in Ajmer sex scandal surrenders after 26 years

TNN / Feb 16, 2018, 11:57 IST









YOU'RE READING



Main accused in Ajmer sex scandal surrenders after 26 years



ISB Applied Business Analytics: Drive business growth with the power of...





AJMER: Wanted in the sensitive Ajmer blackmail scandal, Suhail Ghani Chisty, a resident of Khadim Mohalla, surrendered in the district court on Thursday after 26 years. The court later sent him to judicial custody.

18 आरोपियों में से 9 को पहले सुनाई जा चुकी सजा

- **इन 4 को उम्रकैद हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा में बदला :** इशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइजुल्लाह पुत्तन इलाहबादी, शम्सुद्दीन उर्फ माराडोना। इन्हें 2003 में सजा हुई थी, ये सभी रिहा हो चुके हैं।
- इन 4 को उम्रकैद हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बरी किया : परवेज अंसारी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, कैलाश सोनी। इन्हें लोअर कोर्ट ने 1998 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया था। वहीं, नौवें आरोपी फारुख चिश्ती को लोअर कोर्ट ने 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2013 में उसे भुगती हुई सजा पर ही हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया था। इस तरह नौ आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी थी।

- **एक सुसाइड कर चुका :** पुरुषोत्तम उर्फ बबली 1994 में केस चलने के दौरान सुसाइड कर चुका है। वह जमानत पर बाहर आया था। जहूर चिश्ती पर कुकर्म का केस चला, उसे 1997 में रिहा कर दिया गया।
- आज इन 6 को सुनाई गई सजा : सोहेल गनी, नफीश चिश्ती,
 जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम उर्फ
 टारजन।
- •एक आरोपी अभी भी फरार : अलमास महाराज अभी फरार है, इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है।

उम्रकैद की सजा 10 साल में बदली



इशरत अली



अनवर चिश्ती यूथ कांग्रेस जॉइंट सेक्रेटरी



मोइजुल्लाह पुत्तन इलाहबादी




शम्सुद्दीन उर्फ माराडोना ड्राइवर

4 हो चुके दोषमुक्त




परवेज अंसारी



महेश लुधानी कलर लैब मालिक लैब मैनेजर



हरीश तोलानी कैलाश सोनी



1 आरोपी अभी भी फरार



पुरुषोत्तम उर्फ बबली लैब डेवलपर



फारुख चिश्ती यूथ कांग्रेस प्रेजिडेंट



जहूर चिश्ती 1997 में रिहा



अलमास महाराज फरार

6 दोषी कई साल से जेल में


का ेर्ट ने जिन 6 दोषियों को सजा सुनाई, उनमें से सलीम चिश्ती 8 साल, नसीम उर्फ टारजन साढ़े 3 साल, नफीस चिश्ती पौने 8 साल, सोहेल गनी डेढ़ साल, इकबाल भाटी साढ़े 3 साल की सजा ऑलरेडी काट चुके हैं। वहीं जमीन हुसैन एंटीसिपेटरी बेल पर था। इनके वकील अजय वर्मा ने बताया कि आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इकबाल भाटी के लिए पैरोल मांगी गई थी, जो जज ने खारिज कर दी है। अब जेल प्रशासन ही अजमेर के JLN में इकबाल का इलाज कराएगा।



इतने साल तक सजा से कैसे बचते रहे दोषी?

- साल 2003 तक केस के 7 आरोपी नफीस चिश्ती (तत्कालीन यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट), अनवर चिश्ती (तत्कालीन यूथ कांग्रेस जॉइंट सेक्रेटरी), इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, अल्मास महाराज और नसीम उर्फ टारजन मामले में फरार चल रहे थे। सातों ने पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाया।
- आरोपियों को अच्छे से पता था कि हर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस नई चार्जशीट पेश करेगी और कोर्ट में अलग से ट्रायल चलेगा। इसे ध्यान में रखते हुए नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहैल गनी, जमीर हुसैन और नसीम उर्फ टारजन ने लंबे अंतराल के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया।
- साल 2003 में नफीस चिश्ती और नसीम उर्फ टारजन को अलग-अलग इलाहाबाद और दिल्ली के धौला कुआं इलाके से पकड़ा गया। 2004 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। साल 2005 तक मामले में 52 गवाहों के बयान भी हो गए थे, लेकिन तभी इसी मामले में एक और आरोपी इकबाल भाटी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद नफीस चिश्ती और नसीम का ट्रायल रोक दिया गया।

- इकबाल भाटी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में एक और चार्जशीट पेश की गई। अब नफीस चिश्ती, नसीम और इकबाल भाटी के खिलाफ नए सिरे से ट्रायल शुरू किया गया है। उन्हीं गवाहों को फिर से कोर्ट में बुलाया गया, जिनके बयान पहले भी हो चुके थे। इस बार कोर्ट में 20 गवाहों के बयान हुए।
- साल 2012 में आरोपी सलीम चिश्ती भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं जमीर हुसैन भी अग्रिम जमानत मिलने के बाद विदेश से यहां आया था। साल 2001 में वह अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुका था।
- एक बार फिर ट्रायल रोक दिया गया। सलीम चिश्ती और जमीर हुसैन के खिलाफ नई चार्जशीट पेश की गई। इसके बाद नफीस चिश्ती, नसीम, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और जमीर हुसैन के खिलाफ नए सिरे से ट्रायल स्टार्ट हुआ। गवाहों को फिर कोर्ट में बुलाया गया। इस बार 69 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए।
- ट्रायल चल ही रहा था कि साल 2018 में एक और आरोपी सोहैल गनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
 एक बार फिर ट्रायल रोक दिया गया। मामले की एक और नई चार्जशीट पेश हुई और फिर से ट्रायल शुरू हुआ।
- आखिरकार अब 104 गवाहों के बयानों के बाद साल 2024 के जुलाई महीने में इस मामले में अंतिम बहस पूरी हुई और 20 अगस्त को 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।



इसी बारे में हाल ही में एक मूवी लॉन्च हुई <mark>अजमेर 92</mark>. और अचानक से 1992 के वो रूह कंपा देने वाले यादें फिर से ताज़ा हो गई – आज हम बताएंगे की क्या हुआ था अजमेर मे 1992 में क्यू बदनाम हुआ था और क्यू ?

उस समय अगर कोई रिश्ता अगर अजमेर मे होता तो पहले वहाँ के प्रेस रेपोर्टरों से ये पूँछा जाता था की क्या जिस घर मे लड़के वाले रिश्ते लेकर जा रहे है उस लड़की के साथ दरिंदगी तो नहीं हुई ? ये सवाल 1992 मे अजमेर की गलियों मे आम सा हो गया था।

वैसे एक बात बता दे की जब से इस मूवी का ट्रैलर लॉन्च हुआ है तब से एस मूवी पर तरह तरह के संकट आने शुरू हो गए है इस मूवी विरोध चरम पर है AJMER-92 फिल्म को लेकर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया।



Jamiat Ulama-i-Hind seeks ban on Hindi film 'Ajmer-92' as it will 'create a rift in society'

Jamiat president Maulana Mahmood Madani expressed disappointment over repeated attempts by Hindi filmmakers to project a particular community in a negative light

June 05, 2023 04:15 am | Updated June 07, 2023 01:36 pm IST - New Delhi



ZIYA US SALAM













Jaipur Mumbai Delhi Bengaluru Hyderabad

Kolkata Chennai Agra Agartala Ahmedabad Ajmer

HC dismisses petition seeking a ban on the movie 'Ajmer 92'

TNN / Jul 4, 2023, 08:28 IST











YOU'RE READING

HC dismisses petition seeking a ban on the movie 'Ajmer 92'



Myntra's Mega Kids Carnival: Unveiling top fashion & lifestyle picks for...





Jaipur: Rajasthan High Court on Monday dismissed a petition seeking to ban the film 'Ajmer 92', which is based on the infamous Ajmer sex scandal of 1992 that involved the alleged serial gangrape and blackmailing of more than 100 schoolgirls.

फिल्म पर बैन लगाने की मांग क्यू उठ रही है ?

खादिमों (सेवक) की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने अजमेर 92 फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जिए हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाने की मंशा है। कर्नाटक चुनाव से पहले द केरल स्टोरी फिल्म लाई गई और अब राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले इसे लाया जा रहा है। फिल्म में गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। इस फिल्म को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और खादिम समुदाय चिश्ती परिवार से क्यों जोड़ा जा रहा हैं? इसमें सिर्फ राजनीतिक पार्टी कॉलेज के स्टूडेंट्स और कर्मचारी शामिलथे। एक ही समाज के लोगों को टारगेट करना उचित नहीं है।

दावा किया जा रहा है कि सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 'अजमेर 92' 250 उन लड़िक्यों की कहानी है, जिन्हें जाल में फंसाया गया और उनका रेप किया गया और फिर उन्हें सिलिसिलेवार ब्लैकमेल किया गया. इस केस में सबसे पहले अजमेर के एक स्कूल की लड़की को फंसाकर उसके न्यूड फोटोज क्लिक गए थे और उसके बाद फोटो के आधार पर उसे और लड़िकयों को इस खेल में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और फिर एक चेन बनती गई, जिसमें कई लड़िकयां शिकार बनीं. सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 'अजमेर 92' को पुष्पेन्द्र सिंह ने निर्देशित किया है. फिल्म करण वर्मा, सुमित सिंह, अलका अमीन, राजेश शर्मा, ईशान शर्मा, महेश बलराज, बृजेंद्र काला, मनोज जोशी आदि कई कलाकार शामिल हैं. और इसे उमेश कुमार तिवारी ने निर्मित किया है.



रिलीज डेट- २१ जुलाई २०२३

बजट १० करोड़ रुपए **डायरेक्टर** पुष्पेन्द्र सिंह

प्रोड्यूसर उमेश कुमार तिवारी

राइटर

सूरज पाल रजक



COMPLETERECORDED BATCH

FOUNDATION BATCH

Price Price Price



By Ankit Avasthi Sir







99/- ONE YEAR



EXAM DATE

September 2024







Features

- 40 Mock Test
- 10 Practice test
- 4 Sectional Test
- 2 Year PYP
- 60 + Current Affairs





UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

• 50+ MOCK TESTS • 30+ PYQ'S

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR









GA FOUNDATION







6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Date: _/_/_

Title:

→ सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू

- → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्षेतम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंघु भी पंचनद भान में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनार भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्व के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयोजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययं नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।




CAL CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia

















कोलकाता रेप-मर्डर केस



SC forms
task force
to protect
doctors:



JUSTICE J B PARDIWALA

CJI DY CHANDRACHUD

JUSTICE MANOJ MISRA



Top stories :

The Hindu

Kolkata doctor rape and murder: SC constitutes 10member task force to...



The Indian Express

SC sets up task force for safety of health care workers after Kolkata rape...



7 hours ago



Kolkata Rape-Murder: Supreme Court Hearing Recap - What SC Said On...

VIDEO 9 minutes ago



10 hours ago

Business Standard

Kolkata doctor rape-murder LIVE updates: SC orders removal of all pictures,...



LIVE 1 hour ago

Time https:

Times of India

https://timesofindia.indiatimes.com > India News

SC forms National Task Force to make blueprint for safety ...

ĦŒ

Hindustan Times

https://www.hindustantimes.com > India news

SC constitutes 10-member task force to formulate protocol ...



The Economic Times

https://m.economictimes.com > News > India

Kolkata Doctor Case: SC sets up task force, suggests ... ♥



Business Today

https://www.businesstoday.in > India

RG Kar Hospital Case: SC to form National Task Force ...

TH The Hindu

Kolkata doctor rape and murder: SC constitutes 10-member task force to formulate protocol for ensuring safety of doctors ✓



कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव देगी।


शीर्ष अदालत ने जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। <mark>मुख्य न्यायाधीश</mark> डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जाहिर की। साथ ही केस में पुलिस जांच से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका तक पर सवाल उठाए। कोर्ट ने मामले में

नौ सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया है।











कोलकाता रेप-मर्डर केस की टाइमलाइन



ट्रेनी डॉक्टर की आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था

 9 अगस्तः कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या। उसकी अर्धनग्न बॉडी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली।

दोनों आखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। देशभर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हुई।



10 अगस्तः CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया। उसने रेप-हत्या की बात कबूल की।

रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी के लिए कानून बनाने

और घटना की CBI जांच के लिए प्रदर्शन तेज किया।

12 अगस्त : आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। इसके बाद दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग को लेकर याचिका लगाई गई।

13 अगस्तः कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस CBI को सौंपा गया। कहा- 5 दिन में पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऐसे में तो सबूत मिटाए जा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने हड़ताल खत्म की।



14 अगस्तः CBI को केस हैंडओवर किया गया। देर रात करीब 1 हजार लोगों की भीड़ आरजी कर अस्पताल पहुंची। हिंसा और

तोड़फोड़ हुई। १५ पुलिसकर्मी घायल हुए। १२ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया।

15 अगस्तः हिंसा के बाद देशभर में हड़ताल और प्रदर्शन तेज हुए। FORDA ने भी फिर से हड़ताल शुरू की। IMA ने भी ऐलान किया कि 17 अगस्त को देशभर के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे।

16 अगस्त: CBI ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया। CM ममता ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग पर रैली निकाली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल में हिंसा को लेकर पुलिस को फटकार लगाई।

। **17 अगस्त**: IMA के कहने पर देशभर के डॉक्टरों ने हड़ताल की। सिर्फ ICU और इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गईं।



इस घटना के बाद बंगाल समेत देश भर में डॉक्टरों के विरोध- प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बीच, 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। केंद्रीय एजेंसी लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष लगातार सवालों के घेरे में है। एजेंसी कई बार घोष से पूछताछ कर चुकी

है।

Hospital in Kolkata, West Bengal






कोलकाता रेप-मर्डर केस

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 5 खुलासे

- एबनॉर्मल सेक्शुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया।
- विल्लाने से रोकने के लिए नाक-मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोंटने से थायरॉइड कार्टिलेज टूट गया।
- असिर को दीवार से सटा दिया गया, जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं।
- (4) इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था।
- चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था।

घटना के 4 दिन बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता का खुलासा:

पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि 8-9 अगस्त की रात रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। चार पेज की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था।









सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा मामला? मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार (20 अगस्त) को सुनवाई की। सीजेआई ने कहा, 'कलकत्ता उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा था लेकिन हमने स्वतः संज्ञान लेने का निर्णय क्यों लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता के अस्पताल में हुई एक भयावह हत्या का मामला नहीं है... बल्कि यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।' सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार, पुलिस और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व

पुत्रान बाट में सुनवाइ के दौरान बनारा सरवार, नुस्ति जार जार जार जा कर नाडकरा बाराज के पूज प्राचार्य संदीप घोष को लेकर कई सवाल उठाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला कैसे बताने की कोशिश की। सीजेआई ने नियुक्ति को लेकर भी बंगाल सरकार से सवाल दागे। सीजेआई ने कहा कि जब प्रिंसिपल के आचरण की जांच हो रही

है तो प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर <mark>नेशनल टास्क फोर्स</mark> का गठन किया है। यह टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव देगी।

क्या होता है स्वतः संज्ञान (Suo motu)

- सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान) सुनवाई की है।
- 2 चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया है।
- ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा।

- 4 'Suo moto' एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है 'खतः संज्ञान'। इसके तहत अदालत अपने मर्जी से मामला शुरू कर सकती है।
- 5) भारत में कोर्ट ये निर्णय तब लेता है जब उसे ये अहसास होता है कि जनता के नैतिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

- इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट बिना किसी पक्ष द्वारा औपचारिक रूप से याचिका दायर किए बगेर भी फैसला कर सकती है।
 - sc और HC ले सकता है निर्णय
- अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुओ मोटो का फैसला सर्वोच्च न्यायालय (SC) और उच्च न्यायालयों ही कर सकता है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वतः संज्ञान लेने की व्यवस्था के पीछे तर्क यह है कि देश के हर एक नागरिक को न्याय मिले।
- 9 इस कानून के तहत अदालत किसी भी सरकारी जांच एजेंसी से जांच करवा सकती है जैसे की पुलिस, सीबीआई या कोई और एजेंसी।
- गंविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालतें किसी मामले में स्वत: संज्ञान लेती हैं.

कोलकाता हत्याकांड



सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां

यदि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं तो समानता का क्या अर्थ है? शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर राज्य की शक्ति का इस्तेमाल न किया जाए।

पीड़िता का नाम, उनकी फोटो और वीडियो मीडिया में प्रकारित होने पर गहरी चिंता है। डॉक्टरों और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा राष्ट्रीय हित का मामला है।

कोलकाता पुलिस (अस्पताल पर हमले के दौरान) क्या कर रही थी?



देश कोई कदम उठाने के लिए एक और दुष्कर्म का इंतजार नहीं कर सकता।



प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में है तो दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति कैसे। पीड़िता का नाम, तस्वीर, वीडियो वायरल होने की घटना से हम चिंतित।

राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ा जाए।

सुप्रीम कोर्ट





सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से 9 सवाल

- अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं।
- क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है।
- रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है।
- ऐसे कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।
- क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
- मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं?
- क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है।
- क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं?
- कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक महीने के भीतर हलफनामे के साथ यह जानकारी देने को कहा है।





अस्पतालों में काम करने वालों को सुरक्षा नहीं मिल रही; CJI की बड़ी बातें

- एफआईआर दर्ज करने में बेवजह देरी हो रही है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ा जाए।
- पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों पर बल का बिल्कुल भी प्रयोग न करें।
- 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल में पीजी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया। उसकी हत्या कर दी गई। इस क्रूरता ने अंतरात्मा को झकझोर दिया है।
- जब प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में है तो उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया गया।
- कोलकाता के मामले में हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि पीड़ित का नाम और फोटो, वीडियो सभी मीडिया में प्रकाशित हो रहे हैं। ग्राफिक में उसका शव दिखाया गया है, जो घटना के बाद का है।
- अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं मिल रही।
- संविधान के तहत समानता किस बात की है, अगर महिलाएं अपने वर्कप्लेस पर सुरक्षित नहीं रह सकतीं।
- यह सिर्फ कोलकाता के अस्पताल का नहीं, बल्कि यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए स्वत: संज्ञान लिया है।

पूर्व प्रिंसिपल जांच के दायरे में, लगातार चार दिन पूछताछ हुई:

ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में CBI ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व

प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ कर रही है। उनसे शुक्रवार (16 अगस्त) से लगातार चार

दिन पूछताछ की गई। बीच-बीच में उन्हें कुछ

समय का ब्रेक भी मिल रहा था। CBI सूत्रों के

मुताबिक, डॉ घोष जांच एजेंसी के 10 सवालों

के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं।



🏥 पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से CBI के 10 सवाल

हत्या को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दी क्यों थी २

> आप डॉक्टर हैं। आपको पता नहीं कि घटनास्थल सुरक्षित रखा जाता है?

परिवार को जानकारी देने के लिए किसने कहा। झूठ क्यों बोला?



आप जानते होंगे कि घटनास्थल पर सबूतों से छेड़छाड़ करना अपराध है।

इसके बावजूद आपने जांच पूरी होने तक उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा?

डॉक्टर के परिवार को कई घंटे बाद सूचना क्यों दी

शव को उसके परिवार को दिखाने में देरी क्यों हुई?

अस्पताल में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं?

आपने घटना के तुरंत बाद इस्तीफा क्यों दिया?

इस्तीफा देने के पीछे क्या वजह है?

केंद्र सरकार का सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश





Ministry of Health & Family Welfare writes a letter to the Head of the Central Government. Hospitals/Institutes, AIIMS/INIs for enhancing security in all Central Govt. Hospitals.

Nirman Bhawan, New Delhi-110001 Dated the 19th August, 2024

Head of all the Central Govt. Hospitals/ Institutes, AllMS/INIs (As per standard list)

Subject: Enhancing security in all Central Govt, Hospitals/AIIMS/INIsreg.

Sir.

- It has been evidenced for a long time that Government hospitals are more permeable to public compared to private facilities, making it easier for unauthorized individuals to enter freely. White accessfully is important for providing care, it can also pose security risks. Hospitals sometimes become targetted by acts of volence, including assault on staff, which can be related to dispute, dissatisfaction with medical care, or external criminal activities. Ensuring safety of healthcare professionals is vital. Violence or harassment against staff can disrupt operations and effect quality of care provided to publicity. Pristent rush increases potential for conflicts and security breaches. Addressing these concerns requires a comprehensive approach to security that balances accessibility with effective measures to protect patients, staff and integrity of the tability.
- In view of these challenges in ensuring security in government hospitals, it is requested to take following appropriate action to address the security issues in your method.
- Proper Display of relevant penal provisions of the State legislation to prevent violence against health care workers in Hospital premises.
- ii. Sufficient number of High-resolution CCTV cameras to be installed at strategio locations including entirances, exits, contidors, dark spots and sensitive areas. A control room should be setup in the institute for quick response to an emergent situation. In the Central Room one admin staff should always be statished along with security persons.
- Employment of adequate number of well trained security guards for proper monitoring / patrolling/surveillance of the premises.
- iv. Entry and exist should be strictly monitored to allow entry to authorized personnel only, identification badges for stall, patients, and visitors may be issued for easy identification of authorized personnel. Display of I Card by all Hospital Staff while on duty be made mandatery. Appropriate arrangements be made to ensure that all visitors are monitored.
- Only one or two attendents be allowed with a patient at any point in time including visiting hours and with an aftendant pass only. Restricted access to certain areas may be devised.
- vi. Comprehensive plans may be drawn for tackling various types of emergencies. These Plans should be regularly updated and rehearesed

- vii. Public address systems should be devised to quickly disseminate information during emergencies.
- ix Dark spots in the campus should be mapped and adequate lighting in the premises should be ensured particularly in the duty areas of the tady health care staff, parking lots , entryways etc.
- x. Hospital Authority should ensure a coordinated response in case of incidents in close coordination with local police and emergency services. Security policies should be updated based on feedback and incident analysis.

xi. Adequate number of well secured duty rooms with basic amenities should be provided for female health professionals. Deployment of tady health professionals at night should be preferebally done in more than one number. They should be estorted in premises while on duty and proper arrangement of secured hanaport should be made for them for any movement at night.

- xii. Adequate number of Patient Facilitators and Patient Cooridinators to be enagged for assisting patients providing information and guiding the patients in the Hospitals Institutes.
- This issues with the approval of the competent authority.

South faithfully,

Copy to:-

- 1. PSO to Secretary (HFW), Govt. of India:
- 2. PSO to all AS, MoH&FW
- 3. PPS to JS (PMSSY) and all JS, MoH&PW
- PSO to DGHS for ensuring compliance in institute comes under their administrative control

10:19 AM · Aug 20, 2024









Reply



Share

Read 12 replies

Z.28016/54/2024-PMSSY-I (E0-8291998) Government of India

Ministry of Health & Family Welfare (PMSSY-I Section)

Nirman Bhawan, New Delhi-110001 Dated the 19th August, 2024

To

Head of all the Central Govt. Hospitals/ Institutes, AIIMS/INIs (As per standard list)

Subject: Enhancing security in all Central Govt. Hospitals/AIIMS/INIsreg.

Sir,

It has been evidenced for a long time that Government hospitals are more permeable to public compared to private facilities, making it easier for unauthorized individuals to enter freely. While accessibility is important for providing care, it can also pose security risks. Hospitals sometimes become targetted by acts of violence, including assault on staff, which can be related to disputes, dissatisfaction with medical care, or external criminal activities. Ensuring safety of healthcare professionals is vital. Violence or harassment against staff can disrupt operations and affect quality of care provided to patients. Patient rush increases potential for conflicts and security breaches. Addressing these concerns requires a comprehensive approach to security that balances accessibility with effective measures to protect patients, staff and integrity of the facility.

- In view of these challenges in ensuring security in government hospitals, it is requested to take following appropriate action to address the security issues in your institute:-
 - Proper Display of relevant penal provisions of the State legislation to prevent violence against health care workers in Hospital premises.
 - ii. Sufficient number of High-resolution CCTV cameras to be installed at strategic locations including entrances, exits, corridors, dark spots and sensitive areas. A control room should be setup in the Institute for quick response to an emergent situation. In the Control Room one admin staff should always be stationed along with security persons.
 - iii. Employment of adequate number of well trained security guards for proper monitoring / patrolling/surveillance of the premises.
 - iv. Entry and exist should be strictly monitored to allow entry to authorized personnel only. Identification badges for staff, patients, and visitors may be issued for easy identification of authorized personnel. Display of I Card by all Hospital Staff while on duty be made mandatory. Appropriate arrangements be made to ensure that all visitors are monitored.
 - v. Only one or two attendants be allowed with a patient at any point in time including visiting hours and with an attendant pass only. Restricted access to certain areas may be devised.
 - vi. Comprehensive plans may be drawn for tackling various types of emergencies. These Plans should be regularly updated and rehearesed including conduct of periodic mock drills to train staff and security personnel for effective responses in emergency scenarios.
 - vii. All hospital staff, including doctors, nurses, and administrative personnel should be trained in recognizing and responding to security threats. They should equipped with appropriate skills to handle emergency situations

effectively.

viii. Public address systems should be devised to quickly disseminate information during emergencies.

ix Dark spots in the campus should be mapped and adequate lighting in the premises should be ensured particularly in the duty areas of the lady health care staff, parking lots, entryways etc.

x. Hospital Authority should ensure a coordinated response in case of incidents in close coordination with local police and emergency services. Security policies should be updated based on feedback and incident analysis.

xi.Adequate number of well secured duty rooms with basic amenities should be provided for female health professionals. Deployment of lady health professionals at night should be preferebally done in more than one number. They should be escorted in premises while on duty and proper arrangement of secured transport should be made for them for any movement at night.

xii. Adequate number of Patient Facilitators and Patient Cooridinators to be enagged for assisting patients ,providing information and guiding the patients in the Hospitals/Institutes.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully, Signed by

Raj (hmar kumar)
Deputy Secretary to the Government of hadio 3:57

Copy to:-

- 1. PSO to Secretary (HFW), Govt. of India;
- 2. PSO to all AS, MoH&FW
- PPS to JS (PMSSY) and all JS, MoH&FW
- PSO to DGHS for ensuring compliance in institute comes under their administrative control



मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू:

कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास (18 अगस्त) से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पहले CrPC की धारा 144) लागू कर दी है।

इस आदेश में कहा गया है कि अगले 7 दिनों (24 अगस्त) तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।



SC sets up task force for safety of health care workers after Kolkata rape-murder: What will the task force do?

The Supreme Court was hearing matters related to the rape and murder of a trainee doctor at the R G Kar Medical College and Hospital in Kolkata after it took suo moto cognisance of the case

NewsGuard



By: Express Web Desk

New Delhi | Updated: August 20, 2024 16:15 IST





टास्क फोर्स क्या करेगी?

सुप्रीम कोर्ट ने यह टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बनाई है। यह टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पहल करेगी। डॉक्टरों और अस्पतालों में मौजूद सुरक्षा इंतजामों को परखेगी। साथ ही चिकित्सकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुझाव देगी। <mark>कोर्ट ने टास्क फोर्स को तीन</mark> सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही दो महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

अदालत के निर्देश के मुताबिक, टास्क फोर्स लैंगिक हिंसा को रोकने और प्रशिक्षुओं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य स्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करेगी।

the Supreme Court has also directed the task force to keep certain points in mind, these are:

- · Areas of emergency room may need additional security
- Baggage screening needed to prevents arms from entering
- Not allowing persons beyond a limit if they are not patients
- Security to manage crowd
- Have rest rooms for doctors and gender neutral spaces for resting of doctors, nurses
- Areas which need biometrics and facial recognition
- Proper lighting of all areas, installation of CCTV in all places
- Transport from 10 pm to 6 am for medical professions
- Conducting workshops for handling grief and crisis

- Quarterly audits of institutional safety measures
- Establishing police force commensurate with footfall
- POSH Act applies to medical establishments thus ICC to be constituted
- Helpline number to be there for emergency of medical professions

टास्क फोर्स में किसे रखा गया है?

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हेतु एक 9-सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमे शामिल है -



🎎 नेशनल टॉस्क फोर्स में डॉक्टर

ंडॉ. प्रतिमा मूर्ति, 🛂ां. एम. श्रीनिवास, 🛡 आरके सरियन, सर्जन वाइस डायरेक्टर AIIMS, NIMHANS. बेंगलुरू एडमिरल दिल्ली **ि**प्रोफेसर पल्लवी डॉ. सौमित्र डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, सापरे, डीन- ग्रांट रावत, गंगाराम डायरेक्टर, AIIMS, अस्पताल के मेडिकल कॉलेज, मैनेजिंग मेंबर मुंबई जोधपुर <mark>थ</mark>िडॉ. नागेश्वर रेड्डी, डॉ. पदमा प्रोफेसर श्रीवास्तव, अनीता सक्सेना. मैनेजिंग डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एशियन इंस्टीट्यूट न्यूरोलॉजी ऑफ नेशनल हेड, AIIMS, डिपार्टमेंट,

ये 5 सदस्य भी

AIIMS

भारत सरकार के कैबिनेट सचिव

दिल्ली

भारत सरकार के गृह सचिव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव

गैस्ट्रोलॉजी

नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष

नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जामिनर्स के अध्यक्ष



सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मौकों पर रेप (बलात्कार) मामलों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ऐसे कुछ प्रमुख घटनाओं में टास्क फोर्स का गठन निम्नलिखित अवसरों पर किया गया है:

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मौकों पर रेप (बलात्कार) मामलों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ऐसे कुछ प्रमुख घटनाओं में टास्क फोर्स का गठन निम्नलिखित अवसरों पर किया गया है:

<mark>2012 निर्भया गैंगरेप केस:</mark> निर्भया गैंगरेप मामले के बाद, महिलाओं की सुरक्षा और रेप मामलों की त्वरित न्याय प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना था।

<mark>रेप पीड़िताओं के लिए मुआवजा और पुनर्वास:</mark> सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रेप पीड़िताओं के लिए मुआवजा और पुनर्वास की योजना बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स का कार्य पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और उनके पुनर्वास के लिए नीतियाँ तैयार करना था।

<mark>महिलाओं के खिलाफ हिसा के मामलों की निगरानी:</mark> सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिसा के मामलों में की जा रही कार्रवाई की निगरानी करना और सुधार की सिफारिशें देना था।

Medical bodies back SC order; strike on until protection Act:

Medical bodies and resident doctors' associations (RDAs) welcomed the Supreme Court's (SC's) decision to form a task force to ensure the safety of health care workers at their workplaces.

The Indian Medical Association (IMA) held a meeting with state presidents and secretaries on Tuesday to determine the next steps. Similarly, while welcoming the apex court's order, the Federation of All India Medical Association said that it had a meeting with all associated RDAs and decided to continue protests until a central protection Act for the safety of health care professionals is enacted.

This follows the SC's request for doctors to resume work. The Court noted that the abstention of doctors from their duties impacts those segments of society in need of medical care.






•







CBI TO CONDUCT POLYGRAPH TEST OF ACCUSED





Top stories :

18 News18

Why A Polygraph Test Is Important In Kolkata Doctor Rape And Murder Case, How Accurate Is It?

29 minutes ago



The Economic Times

What is a polygraph test and how will it help in the Kolkata doctor rapemurder case?

1 day ago



bt Business Today

Kolkata doctor rape-murder case: How will a polygraph test on accused Sanjoy Roy help CBI's probe?

12 hours ago





CBI gets court nod to conduct lie detector test of main accused Sanjay Roy in Kolkata rape-murder case

West Bengal, India . Edited By: Moohita Kaur Garg . Updated: Aug 19, 2024, 07:15 PM IST











भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), ने सोमवार (19 अगस्त) को कोलकाता में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी का लाई डिटेक्टर टेस्ट (झूठ पकड़ने वाली मशीन से परीक्षण) करने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त की।

रिपोर्टों के अनुसार, कोलकाता हाई कोर्ट ने संजय रॉय पर पॉलीग्राफ टेस्ट (लाई डिटेक्टर टेस्ट) करने की अनुमति दे दी है।

यह घटनाक्रम तब आया जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रिववार (18 अगस्त) को स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मंगलवार (20 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई करेगी।

Sanjay Roy is the main accused in the tragic rape and murder case of a post-graduate trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata, West Bengal. The incident occurred on August 9, when the doctor was found dead in the seminar hall of the hospital.

A preliminary autopsy revealed that she was subjected to a brutal sexual assault before her death. Sanjay Roy, who worked as a civic volunteer, was arrested by the Kolkata Police in connection with the crime.

The initial investigation suggested that Roy was intoxicated at the time of the crime. Reports indicated that he had consumed alcohol at a location behind the hospital and that he had a habit of watching pornographic content while drinking.



14 अगस्त से सीबीआई ने शुरू की जांच:

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ट्रेनी महिला डाक्टर से दुष्कर्म किया गया और हत्या कर दी गई थी। महिला चिकित्सक का शव नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर मिला था। अपराध में कथित संलिप्तता के लिए अगले दिन कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 14 अगस्त से अपनी जांच शुरू कर दी



Kolkata murder case: CBI gets nod to conduct polygraph test of accused

By HT News Desk



Aug 19, 2024 05:57 PM IST










CBI has got permission to conduct polygraph test of the arrested accused in Kolkata hospital rape-murder case.

What is a Polygraph Test?



What is a Polygraph Test?

A polygraph test, also *known as a lie detector*, is a scientific method used to measure a person's physiological responses (heartbeat, changes in breathing, sweating, blood pressure) to the questions.


A similar test was first conducted in the 19th century by the Italian criminologist Cesare Lombroso, who used a machine to measure changes in the blood pressure of criminal suspects during interrogation. Similar devices were subsequently created by the American psychologist William Marstron in 1914, and by the California police officer John Larson in 1921.

How Is It Conducted?

A polygraph is a device that records several signals from sensors on a single moving paper strip, or "graph," or "polygraph". The subject has four to six sensors linked to them.

The test captures an individual's breathing rate, the person's pulse rate, the individual's blood pressure, the perspiration of a person. It also sometimes records arm and leg movement as well.





Typically, sensors capture:


- The individual's breathing rate
- The person's pulse rate
- The individual's blood pressure
- The perspiration of a person
- A polygraph will sometimes record arm and leg movement as well.

परीक्षण क्या दिखाता है (What does the test show)?

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं। हालांकि यह परीक्षण यह नहीं बता सकता कि व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, लेकिन यह उस व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को देखकर पॉलीग्राफ ऑपरेटर इसका विश्लेषण करता है।

परीक्षण के दौरान, व्यक्ति के शरीर पर सेंसर लगाए जाते हैं, और उसे कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। परीक्षक इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखता है ताकि यह समझ सके कि कहीं व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। यह परीक्षण उस समय शरीर में होने वाले बदलावों को मापता है जो झूठ बोलने के संकेत हो सकते हैं।

हालांकि यह परीक्षण झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, वास्तव में यह शरीर में होने वाले बदलावों को मापता है जो धोखे से जुड़े हो सकते हैं। इन परीक्षणों की सटीकता पर बहस चलती रहती है, क्योंकि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कभी भी 100% सही साबित नहीं हुए हैं। फिर भी, जांच एजेंसियां अक्सर इनका उपयोग संदिग्धों से सच उगलवाने के लिए करती हैं।



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1871 के अनुसार, परीक्षण के नतीजों का अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन जांच का हिस्सा हो सकते है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में कहा था कि नार्कों टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट को जबरन कराना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसे निर्दयी, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार माना गया। यह निजता के अधिकार के भी खिलाफ हो सकता है, जो जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

हालांकि, 2010 के सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट को इकबाल-ए-जुर्म (कबूलनामा) के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर यह स्वेच्छा से किया गया है, तो इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति की मानसिक सोच और प्रक्रियाओं में जबरन दखल देना उसकी मानव गरिमा और आजादी का उल्लंघन है, और इसका अक्सर गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला असर होता है।" कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य का यह दावा कि ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों के इस्तेमाल से 'थर्ड डिग्री' यानी कठोर और अमानवीय तरीकों में कमी आएगी, सही नहीं है, क्योंकि एक गलत तरीका दूसरे गलत तरीके से बदला जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानकों, निष्पक्ष मुकदमें के अधिकार, और संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-अभियोजन के खिलाफ अधिकार को ध्यान में रखते हुए किया। अदालत ने यह भी कहा कि जब किसी मामले को जल्दी सुलझाने की कोशिश होती है, तो गलत कबूलनामें मिलने का खतरा रहता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में जबरन तरीकों का इस्तेमाल न किया जाए।

How the polygraph test will help in the Kolkata doctor case:

The polygraph test, or lie detector test, can play a crucial role in the investigation of the Kolkata doctor case by providing insights into the truthfulness of the suspect, Sanjay Roy. Here's how the test might help:

1. Verifying statements: The polygraph test can be used to verify the consistency of Roy's statements and alibis. By comparing his physiological responses to specific questions about the crime, investigators can determine if there are discrepancies in his story that may suggest deceit.

- 2. Identifying deception: The test measures physiological responses such as changes in heart rate, blood pressure, and respiration. Significant variations from baseline levels when answering questions related to the crime can indicate potential deception or dishonesty.
- 3. Guiding further investigation: Results from the polygraph test can help investigators narrow down their focus. If Roy's physiological responses suggest he may be withholding information or lying, the police can concentrate on particular aspects of the case or pursue additional lines of questioning.

- 4. Evaluating cooperation: The test can also help evaluate Roy's willingness to cooperate with the investigation. If he exhibits significant stress or discomfort when answering questions about the crime, it might suggest he is concealing information.
- 5. Legal considerations: While the results of a polygraph test are not always admissible in court, they can still provide valuable information for investigators and legal teams, potentially influencing the direction of legal strategies or negotiations.

Applications

The polygraph test is used in various applications, including



Criminal asset location



Police applicant screening



Pre-employment screening



Evidentiary polygraphy



Counterintelligence screening



Sex offender management



Pre-trial stipulation



Counter-terrorism programs



Political asylum validation



Counter-narcotics programs

भारत में पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग विभिन्न मामलों में किया गया है:

सहीराम केस (2003):

- मामला: उत्तर प्रदेश के सहीराम गाँव में एक बलात्कार और हत्या के मामले में।
- पॉलीग्राफ टेस्ट: आरोपी के बयानों की सच्चाई जानने के लिए किया गया था, लेकिन इसके परिणाम को अदालत में स्वीकार नहीं किया गया।

कर्नाटका सेक्स स्कैंडल (2005):

 मामला: कर्नाटका में एक सेक्स स्कैंडल के मामले में आरोपी नेताओं और अधिकारियों की जांच के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग किया गया।

अशोक चव्हाण केस (2012):

- मामला: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप।
- पॉलीग्राफ टेस्ट: जांच में मदद के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन इसके परिणाम को आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया।

विजय माल्या केस (2018):


- मामला: भारत के पूर्व बैंकर विजय माल्या के खिलाफ आर्थिक अपराधों का मामला।
- पॉलीग्राफ टेस्ट: माल्या और उसके सहयोगियों के बयानों की जांच के लिए किया गया, लेकिन अदालत में इसके उपयोग की कानूनी मान्यता नहीं है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत (2020):

 मामला: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच में पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग मुख्य संदिग्धों और गवाहों की जांच के लिए किया गया।

श्रद्धा वाकर मर्डर केस 2022: दिल्ली पुलिस ने आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था आफ़ताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए थे।

इन मामलों में पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग आरोपी या संदिग्धों के बयानों की सच्चाई की जांच करने के लिए किया गया। हालांकि, भारत में पॉलीग्राफ टेस्ट को कानूनी साक्ष्य के रूप में पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं है और इसे जांच के एक हिस्से के रूप में ही देखा जाता है।





'We will never accept money, we want justice': Kolkata hospital rape-murder victim's father

Sources claimed the victim's family was offered Rs 10 lakh as compensation, but the family refused to confirm this amount. On Thursday, the CBI recorded their statements.

पिता बोले- CM ममता से संतुष्ट नहीं, मुआवजा नहीं लेंगे:

पीड़ित के पिता ने बंगाल सरकार पर घटना को लेकर लोगों के आक्रोश को दबाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हम CM ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं हैं। राज्य सरकार विरोध-प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। पूरा डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। कॉलेज से भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।





मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू:

कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास (18 अगस्त) से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पहले CrPC की धारा 144) लागू कर दी है।

इस आदेश में कहा गया है कि अगले 7 दिनों (24 अगस्त) तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।







COMPLETERECORDED BATCH

FOUNDATION BATCH

Price Price Price



By Ankit Avasthi Sir







99/- ONE YEAR



EXAM DATE

September 2024







Features

- 40 Mock Test
- 10 Practice test
- 4 Sectional Test
- 2 Year PYP
- 60 + Current Affairs





UPPSC,RO/ARP,BPSC,UP TEST SERIES

TEST SERIES)

35+ MOCK TESTS

- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

• 50+ MOCK TESTS • 30+ PYQ'S

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

UPP

TEST SERIES)

- 20+ MOCK TESTS
- 8+ PYQ'S
- 25+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

Download | Application **Apni Pathshala**

7878158882

🕟 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit

🕇 AnkitAvasthiSir 💟 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR









GA FOUNDATION







6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट













अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Date: _/_/_

Title:

→ सिन्धु नदी का उद्यम क्षेताका प्रवितिय क्षेत्र में बीखर पू

- → तिल्बत में इस निर्ण को सिंगी खंबान कहते हैं।
- → यह पमचीक नामक स्थान की भारत में प्रवेश करती है। - घट नदी भारत में लहान तथा जास्कर श्रीनी के बीच
- वहती है।
- -) पाकिस्तान में यह सरक (Attock) नामक स्थानों पर मैवानों में प्रवेश करती है।
- → पाकिस्तान में कराँची के पास डेस्टा बनाते हुए धर अस्व सागर में जिस्ती है।
- → सिंह्य नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक निदेवों :-रयोज , तुषा , दुनजा , गिलागीट , स्वात , काबुल तथा गीगल
- -) इसकी अनुय बायें हाथ की सहायक निदयां क्षेतम , चिनाव रावी , व्यास , सत्तवं , ट्रांस तथा जारकर
- → सिंघु की पंचनद भाक में निठानकीट नामक स्थान पर मिलती 🖺
- → 'लैंह' मिंधुं नदी के किनारें स्थित है।

4444

ं दीलम :- इस नवी का उत्गम जम्मू कवमीर में



Title:

Date: __/__/_

वैरिनाग झील से होता है।

- * यह नदी वूलर सील का निर्माण करती है भी भारत की सबसे बड़ी मीढ़े पानी की सील है।
- -) इस निक के किनार भीनगर स्थित है।
- -) किश्वानगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी हैं।
- ्र इस नदी पर तुलकुल परियोजना प्रस्तावित है। थए एक नीवहन परियोजना दे।
- → यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तरिहरीय सीमा का निमिं करती है।
- ii) चिनाब : चिनाब नदी का उपगम हिमाचल प्रदेश में वारालन्द्या दर्व के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
- 🛶 उ ६ ८ में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन प्रीयीजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती , सतान , बगितहार

- 🛶 यह सिंधु नदी की सबसे वडी शद्ययक नदी 🗞।
- iii) <u>रावी</u>: = वावी नदी का उद्गम शैहताँग दर्रे के पास भी हिमान्यल उदेश में हीता है।
- → हिमायस प्रवेश में इन नदी पर प्रमेश बाँद्य स्थित है।
- → पंजाब में इस नदी पर धीन परियीजना स्थित E।




CAL CENTRE

787815882







AnkitInspiresIndia









